भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग- I, खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 07/12/2025-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,

संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक:27/02/2026

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं.-एडी (एसएसआर-06/2025)

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मिथाइल एसिटोएसीटेट" के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के संबंध में निर्णायक समीक्षा जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

1. निर्दिष्ट प्राधिकारी जिन्हें इसके बाद "प्राधिकारी" भी कहा गया है) ने दिनांक 7 जनवरी 2015 को अधिसूचना संख्या 14/7/2014-डीजीएडी द्वारा चीन जन.गण. और यूएसए के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "मिथाइल एसिटोएसीटेट" (जिसे इसके बाद "संबद्ध सामान" या "विचाराधीन उत्पाद" या "एमएए" भी कहा गया है) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की। इसके बाद प्राधिकारी ने 1 अप्रैल 2016 की अधिसूचना के माध्यम से चीन जन.गण. और यूएसए से संबद्ध सामानों के आयात पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हुए अंतिम जांच परिणाम जारी किए। वित्त मंत्रालय द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 22/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 31 मई 2016 द्वारा 5 वर्षों के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. प्राधिकारी ने चीन जन.गण. के विरुद्ध अधिसूचना संख्या 7/40/2020-डीजीटीआर दिनांक 30 सितंबर 2020 के माध्यम से पाटनरोधी शुल्क की पहली निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की। प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/40/2020-डीजीटीआर

दिनांक 03 मई, 2021 के माध्यम से चीन जन.गण. पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की। इसी प्रकार यह शुल्क वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. 31/2021- सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 29 मई, 2021 द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए लगाया गया था। पाटनरोधी शुल्क 28 मई 2026 को समाप्त होने वाला है।

3. अधिनियम की धारा 9क (5) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि लगाए गए पाटनरोधी शुल्क को, जब तक कि पहले रद्द नहीं किया जाता है, ऐसे आरोपण की तारीख से पांच साल की समाप्ति पर प्रभावी होना बंद हो जाएगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है। उपरोक्त के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत प्रमाणित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करने की आवश्यकता है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने अथवा पुनरावृति होने की संभावना है।

4. इसके अलावा, नियमावली के नियम 23 (आईबी) में निम्नलिखित प्रावधान है:

> *"......किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत् पुष्टि; तथा अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।"*

5. नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से दायर, चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के आयातों से पाटन और क्षति की संभावना के *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के साथ विधिवत प्रमाणित आवेदन-पत्र प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 7/12/2025-डीजीटीआर दिनांक 26 जून 2025 द्वारा वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच शुरु की ताकि यह जांच की जा सके कि क्या

वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने अथवा पुनरावृति होने की संभावना है।

ख. **प्रक्रिया**

6. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:

क. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त दृष्टया साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या 7/12/2025-डीजीटीआर दिनांक 26 जून, 2025 द्वारा एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की। जिसके माध्यम से, संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू की गई।

ख. प्राधिकारी ने प्रश्नावली के साथ सार्वजनिक सूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावास, सभी ज्ञात निर्यातकों, आयातकों और प्रयोक्ताओं (जिनके विवरण आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए थे) को भेजी और उन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार लिखित में अपने ज्ञात विचार देने का अवसर प्रदान किया। उन्हें नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर उत्तर देने की सलाह दी गई थी।

ग. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार, प्राधिकारी ने आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति भारत में संबद्ध देश के दूतावास, ज्ञात उत्पादकों और संबद्ध देश के निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और भारत में प्रयोक्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजी।

घ. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को संगत सूचना प्राप्त करने के लिए प्रश्नावली भेजी:

i. चांगझोउ एचजेसीसी न्यू मैटेरियल्स कंपनी।

ii. चांगझोउ जियाबाई केम-टेक कंपनी, लिमिटेड।

iii. हांगकांग क्लीनटेक कंपनी, लिमिटेड।

iv. नानटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड।

v. नानटोंग तियानहोंग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड।

vi. क्विंडो हैवान ग्रुप कंपनी लिमिटेड।

ङ. प्रत्युत्तर में, चीन जन.गण. से केवल नैनटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड (जिसे इसके बाद "नैनटोंग" के रूप में उल्लिखित किया गया है) ने निर्धारित प्रारूप में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया और अनुरोध किए।

च. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में विचाराधीन उत्पाद के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को भी आयातक प्रश्नावली भेजी:

i. कलरटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
ii. डेक्कन फाइन केमिकल्स (इंडिया)
iii. के. उत्तमलाल एंड कंपनी
iv. माइल्स ट्रेडेक्सिम प्रा. लि.
v. नूतन डाई केम
vi पारीचेम रिसोर्सेज एलएलपी
vii. प्राइमा केमिकल्स, पॉलीगॉन केमिकल्स
viii. आर नंदलाल एंड संस
ix. आरआर इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड
x. संजय केमिकल्स (इंडिया) प्रा. लि.
xi. शक्ति अमोनिया सप्लाई कंपनी।
xii. स्पेक्ट्रम डाइज़ एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

छ. किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं दिया है, न ही उन्होंने जांच शुरुआत अधिसूचना के प्रत्युत्तर में कोई अन्य अनुरोध दायर किए है।

ज. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबंधित प्रशासनिक लाइन मंत्रालय को एक आर्थिक हित प्रश्नावली (ईआईक्यू) जारी की। आर्थिक हित प्रश्नावली का

उत्तर केवल घरेलू उद्योग द्वारा दायर किया गया था। किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया।

झ. जांच शुरुआत की अधिसूचना के उत्तर में हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत होने का अनुरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर वेबसाइट पर अपलोड की गई थी और उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे प्राधिकारी को गोपनीय रूपांतर के प्रस्तुत करने की तारीख से अगले दिन तक अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर भेजें।

ञ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच उन दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को यह निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।

ट. प्राधिकारी ने जांच की अवधि (पीओआई) को 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 (12 महीने की अवधि) माना। क्षति की जांच की अवधि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 और 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 और जांच की अवधि शामिल है।

ठ. क्षति की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के लेनदेन-वार आयात आंकड़ों के लिए सिस्टम और आंकड़ा प्रबंधन महानिदेशालय (डीजी सिस्टम) से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी को आंकड़े प्राप्त हुए और इस अंतिम जांच परिणाम में आवश्यक विश्लेषण के लिए इन आंकड़ों पर भरोसा किया गया है।

ड. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवश्यक मानी जाने गई सीमा तक घरेलू उद्योग का सत्यापन किया गया था।

ढ. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में घरेलू समान वस्तु का उत्पादन और बिक्री करने के लिए लागत तथा इष्टम उत्पादन लागत के आधार पर और सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित

करने के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की, कि क्या वर्तमान पाटनरोधी शुल्क घेरलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त है।

ण. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को 8 अक्टूबर 2025 को हाइब्रिड मोड में आयोजित मौखिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने अनुरोधों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे 15 अक्टूबर 2025 तक अपने लिखित अनुरोध और 24 अक्टूबर 2025 तक प्रत्युत्तर अनुरोध प्रस्तुत करें।

त. निर्दिष्ट प्राधिकारी में परिवर्तन के कारण, 10 दिसंबर 2025 को हाइब्रिड मोड में एक नई मौखिक सुनवाई आयोजित की गई थी। हितबद्ध पक्षकारों को 17 दिसंबर 2025 तक मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोधों को दायर करने का अवसर प्रदान किया गया था, उसके बाद यदि कोई प्रत्युत्तर अनुरोध हों तो 24 दिसंबर 2025 तक प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था।

थ. प्राधिकारी ने 17 फरवरी 2026 को सभी हितबद्ध पक्षकारों को केन्द्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी अनिवार्य तथ्यों से युक्त एक प्रकटन विवरण परिचालित किया। प्राधिकारी ने इन अंतिम परिणामों में संगत सीमा तक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई सभी प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की संगत सीमा तक जांच की है। कोई भी अनुरोध जो पिछले अनुरोध का पुनरावृत्ति था और जिसकी प्राधिकारी द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की जा चुकी थी, संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

द. प्राधिकारी ने इस जांच के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की सटीकता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट किया, जो यथा-संभव सीमा तक इस अंतिम जांच परिणाम का आधार बनता है और संगत, व्यावहारिक और आवश्यक मानी गई सीमा तक घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ा दस्तावेज़ों का सत्यापन किया।

ध. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान पहुंच से इनकार कर दिया है या अन्यथा आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है, या जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अंतिम जांच परिणाम दर्ज किए हैं।

न. इस अंतिम जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

प. अमेरिकी डॉलर को भारतीय रुपये में बदलने के लिए जांच की अवधि के लिए विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर = 84.55 रु. है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

ग.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

7. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

ग.2 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

8. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा परिभाषित किए गए अनुसार, चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित मिथाइल एसिटोएसीटेट (एमएए) है।

ख. विचाराधीन उत्पाद सीमा प्रशुल्क उप-शीर्ष 29183040 के अंतर्गत आता है। जैसा कि पिछली जांच में सिद्ध किया गया है, यह 29146990, 29153910, 29153940, 29153990, 29183090, 29331990, 29410090 और 29189900 सहित अन्य कोडों के तहत भी आयात किया जाता है। वर्तमान क्षति अवधि में, संबद्ध सामानों को कोड 29183040, 29183090 और 29189990 के तहत आयात किया गया है। अत:, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है।

ग. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह पिछली जांच के क्षेत्र में माने गए सभी कोडों को शामिल करें, साथ ही शुल्क तालिका में कोड 29183090 और 29189990 को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करें।

घ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध सामानों में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देश

से आयातित संबद्ध सामान भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य और प्रयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण और वितरण और विपणन जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय हैं।

ड. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सभी पिछली जांचों में निर्धारित किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद आयातित सामग्री की समान वस्तु है।

ग.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

9. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, और विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहता है जो मूल जांच में परिभाषित है। इस अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है। इसके अलावा, विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई तर्क नहीं दिया है। मूल जांच में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> *"वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद मिथाइल एसिटोएसीटेट है। मिथाइल एसिटोएसीटेट (जिसे एमएए/एमएएई/एएएमई के रूप में भी जाना जाता है) एक डाइकेटीन आधारित एस्टर या एसिटो-एसीटेट है। एमएए का रासायनिक सूत्र सी5एच803 है और 99% शुद्धता पर, यह एक रंगहीन उपस्थिति के साथ एक स्पष्ट तरल है।"*

10. विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वहीं रहता है जो मूल जांच में परिभाषित है।

11. विचाराधीन उत्पाद को उप शीर्ष 29183040 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 में "मिथाइल एसिटोएसीटेट" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तथापि, आवेदक ने अनुरोध किया है कि वर्तमान क्षति की अवधि में, संबद्ध सामानों को कोड 29183040, 29183090 और 29189990 के तहत आयात किया गया है। डीजी सिस्टम आंकड़े भी क्षति की अवधि के दौरान इन तीन कोडों के तहत आयात दर्शाते हैं। अत:, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और किसी भी तरह जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

12. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद रासायनिक विशेषताओं, उत्पाद विनिर्देशों, तकनीकी विनिर्देशों, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्यों और उपयोगों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के

संदर्भ में संबद्ध देश से आयातित सामानों से तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से परस्पर परिवर्तनीय हैं। तदनुसार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद नियमावली के नियम 2(घ) के संदर्भ में संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की 'समान वस्तु' है।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

13. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

14. घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. आवेदक पिछली जांचों में भारत में संबद्ध सामानों का एकमात्र उत्पादक था। तथापि, आवेदक के निष्पादन में सुधार और लागू शुल्कों के कारण बने अनुकूल वातावरण को देखते हुए, जुबिलेंट इंगेरविया लिमिटेड ने क्षमता स्थापित की और फरवरी 2022 में भारत में संबद्ध सामानों के एक नए निर्माता के रूप में बाजार में प्रवेश किया।

ख. जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड ने आवेदन-पत्र और शुल्कों को जारी रखने का समर्थन किया है। कंपनी ने अपनी क्षति की सूचना के साथ एक समर्थन-पत्र प्रस्तुत किया है।

ग. आवेदक के उत्पादन का कुल घरेलू उत्पादन में "प्रमुख अनुपात" है।

घ. आवेदक ने संबद्ध सामानों का आयात नहीं किया है, न ही यह चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के किसी उत्पादक या निर्यातक से संबद्ध है। आवेदक भारत में किसी आयातक से भी संबद्ध नहीं है।

ङ. आवेदक नियम 2(ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन-पत्र उपर्युक्त नियमावली के नियम 5(3) के असार आधार के मानदंड पूरा करता है।

घ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

15. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

> *"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"*

16. प्राधिकारी नोट करते है कि वर्तमान आवेदन-पत्र मेसर्स लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक पिछली जांच में एकमात्र उत्पादक था। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों के एक अन्य उत्पादक यानी जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड (जिसे इसके बाद "जुबिलेंट" भी कहा गया है) ने क्षति की अवधि यानी 2021-2022 (फरवरी 2022) के दौरान क्षमता स्थापित की है और भारत में संबद्ध सामानों के एक नए निर्माता के रूप में बाजार में प्रवेश किया है। इसके अतिरिक्त, जुबिलेंट ने आवेदन-पत्र और शुल्क लगाने का समर्थन किया है। इसने क्षति की अवधि में अपने निष्पादन के संबंध में सार रूप सूचना भी प्रस्तुत की है। यह देखा जाता है कि आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का ***% है, इस प्रकार आवेदक के उत्पादन का कुल भारतीय उत्पादन में "प्रमुख अनुपात" है।

क्र.सं.	विवरण	मात्रा (एमटी)	हिस्सा (%)

1	आवेदक द्वारा उत्पादन	***	***%
2	जुबिलेंट द्वारा उत्पादन	***	***%
3	कुल भारतीय उत्पादन	***	100%

17. मेसर्स लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने प्रमाणित किया है कि उसने न तो संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात किया है और न ही वह संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के किसी निर्यातक या उत्पादक या भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातक से संबद्ध है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के लेनदेन-वार आंकड़ों की जांच की है और पाया है कि आवेदक ने विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देश से आयात नहीं किया है।

18. उपर्युक्त को देखते हुए, प्राधिकारी का मानना है कि आवेदक पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5(3) के आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

ङ. <u>गोपनीयता</u>

ङ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

19. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. आवेदक ने अपने अगोपनीय रूपांतर या उसकी विषय वस्तु का सार प्रदान किए बिना एक बाजार रिपोर्ट पर भरोसा किया है। इस चूक का कोई औचित्य नहीं दिया गया है। *ऑल इंडिया लैमिनेटेड फैब्रिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी* में सेस्टैट के निर्णय पर भरोसा किया गया है।

ख. बाजार रिपोर्ट का स्रोत अज्ञात है, जो इसकी विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करता है।

ग. प्राधिकारी द्वारा सबूतों के बिना संबद्ध सामानों पर 750 करोड़ रुपये के निवेश के बारे में आवेदक के बयानों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसकी मांग की जाए।

घ. निवेश के दावे में विश्वसनीयता की कमी है क्योंकि प्रस्तुत आंकड़े असंगत हैं। आवेदक ने पहली मौखिक सुनवाई के दौरान 750 करोड़ रुपये और दूसरी मौखिक सुनवाई में 710 करोड़ रुपये का दावा किया था।

ङ. जहां तक शेयरधारकों की सूची और प्रदान किए गए सहायक दस्तावेजों की सूची की गोपनीयता का संबंध है, यह जांच में बाधा नहीं डालता है।

च. वितरण के चैनल पर गोपनीयता के संबंध में, विशिष्ट विवरण परिशिष्ट 3क और 4क में प्रदान किए गए हैं जो पूरी तरह से गोपनीय हैं। तथापि, यह खुलासा किया गया है कि नैनटोंग ने भारत और चीन में सीधे असंबद्ध ग्राहकों को बेचा है।

छ. जहां तक बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्राप्त करने के लिए पूरक प्रश्नावली का संबंध है, नैनटोंग द्वारा इसे दायर नहीं किया गया है।

ङ.2 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

20. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. निर्यातक ने अपने शेयरधारकों के नाम और वित्तीय विवरणों पर अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, भले ही कंपनी शंघाई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है।

ख. किसी भी औचित्य के बिना प्राथमिक कच्चे माल के नाम और वितरण के चैनल को गोपनीय होने का दावा किया गया है।

ग. प्रश्नावली के लिए निर्यातक को अपनी बिक्री से संबंधित दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता होती है। जबकि दस्तावेज़ गोपनीय हो सकते हैं, दस्तावेज़ों के नाम के बारे में कुछ भी गोपनीय नहीं हो सकता है, जिन्हें गोपनीय होने का दावा किया गया है।

घ. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत में किए गए समायोजन को निर्यातक द्वारा अनुचित रूप से गोपनीय बताया गया है।

ङ. परिशिष्ट 1 का सार्थक सार प्रदान नहीं किया गया है। यह सूचीबद्ध प्रारूप में उचित रूप में स्पष्ट रूप से रूझान नहीं दर्शाता है।

च. निर्यातक की क्षमता, उत्पादन, मालसूची के संबंध में प्रश्नों के उत्तर, निर्णायक समीक्षा के संबंध में प्रश्नावली के भाग ॥ में निर्यात उपयुक्त सार प्रदान किए बिना पूरी तरह से गोपनीय होने का दावा किया गया है।

छ. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था अनुमान का खंडन करने वाले चीनी उत्पादकों को एक पूरक प्रश्नावली दायर करने की आवश्यकता है। निर्यातक ने घरेलू बिक्री का विवरण प्रदान किया है और अनुरोध किया है कि इसका उपयोग सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। यदि पूरक प्रश्नावली दायर की गई है तो घरेलू उद्योग को उत्तर का अगोपनीय रूपांतर प्राप्त नहीं हुआ है।

ज. गोपनीयता पर निर्यातक की आपत्ति समय-बाधित और अस्थिर है। प्राधिकारी ने गोपनीयता पर टिप्पणियों के लिए हितबद्ध पक्षकारों को विशिष्ट समय सीमा दी है। यदि कुछ पक्षकार ऐसे निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो प्राधिकारी को उनके समय-बाधित अनुरोधों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो पहले से ही किए गए है।

झ. जहां तक बाजार रिपोर्ट पर गोपनीयता का दावा किया गया है, आवेदक ने नियम 7 का पूरी तरह से अनुपालन किया है। आवेदन-पत्र में बाजार रिपोर्ट का नाम बताया गया था; रिपोर्ट के स्रोत की लिखित अनुरोधों में पहचान की गई थी; और रिपोर्ट से प्राप्त सभी सूचना को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर में शामिल किया गया था। आवेदक ने रिपोर्ट पर गोपनीयता का दावा किया क्योंकि इसे तीसरे पक्षकार के माध्यम से प्राप्त किया गया है, और आवेदक दस्तावेज़ को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने के लिए अधिकृत नहीं है। गोपनीयता के लिए उचित औचित्य आवेदक द्वारा प्रदान किया गया था।

ङ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

21. प्राधिकारी ने विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय रूपांतर नियम 6(7) के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा

प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"गोपनीय सूचना:

(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुरोध किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना अनुरोध करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश अनुरोध करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण अनुरोध करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

22. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की जांच उन दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर, प्राधिकारी ने जहां आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। प्राधिकारी यह भी नोट करते है कि सभी हितबद्ध पक्षकारों ने अपने व्यवसाय से संबंधित संवेदनशील सूचना को गोपनीय होने का दावा किया है।

23. प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत की अधिसूचना के पैरा 32 के माध्यम से, हितबद्ध पक्षकारों को किसी भी अनुरोध के अगोपनीय रूपांतर प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के संबंध में मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां पेश करने का निर्देश दिया।

24. घरेलू उद्योग का तर्क था कि निर्यातक ने सूचीबद्ध इकाई होने के बावजूद अपने वित्तीय विवरणों और अपने शेयरधारकों की सूची पर अनुचित गोपनीयता का दावा किया है और ऐसी सूचना सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध है। घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया कि निर्यातक ने प्रमुख कच्चे माल के नामों का दावा किया है, जबकि ऐसी सूचना उसकी वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है जो एक प्रकाशित दस्तावेज है। यह भी तर्क दिया गया है कि निर्यातक ने वितरण के अपने चैनल पर अनुचित गोपनीयता का दावा किया है, भले ही ऐसी सूचना निर्यातक की प्रतिक्रिया से ही अनुमानित की जा सकती है। गोपनीयता पर घरेलू उद्योग की टिप्पणियों के उत्तर में प्राधिकारी नोट करते है कि निर्यातक ने दिनांक 5 सितंबर 2025 के पत्र के माध्यम से अपने शीर्ष 10 शेयरधारकों, वित्तीय विवरण, प्रमुख कच्चे माल जैसे कि डिकेटेन और मेथनॉल और वितरण के चैनल की एक सूची प्रस्तुत की है।

25. घरेलू उद्योग ने यह भी तर्क दिया कि यद्यपि पूर्ण आंकड़े गोपनीय हो सकते हैं, लेकिन सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत में किए गए समायोजन के प्रकार पर दावा करने के लिए दावा नहीं किया जा सकता है। यह देखा जाता है कि उत्तर में, निर्यातक ने खुलासा किया है कि उसने परिशिष्ट 3क में समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, क्रेडिट लागत और बैंक शुल्क के समायोजन का दावा किया है।

26 घरेलू उद्योग द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि निर्यातक ने अपने निष्पादन मापदंडों और निर्णायक समीक्षा से संबंधित प्रश्नावली के भाग में संगत प्रश्नों पर सूचना का सार्थक सार प्रस्तुत नहीं किया। तथापि, यह देखा जाता है कि यद्यपि निर्यातक की प्रतिक्रिया में एक सार्थक सार नहीं था, तथापि वह बाद में निर्यातक द्वारा विधिवत सूचीबद्ध रूप में प्रदान किया गया था। इसके बाद घरेलू उद्योग ने इस तरह के अगोपनीय सार के आधार पर निर्यातक के निष्पादन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं।

27. जहां तक घरेलू उद्योग के पूरक प्रश्नावली के निर्यातक का अगोपनीय रूपांतर प्राप्त न होने के संबंध में प्रश्न का संबंध है, जिसमे बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा किया गया है, प्राधिकारी नोट करते है कि निर्यातक ने स्पष्ट किया है कि उसने पूरक प्रश्नावली दायर नहीं की है और इसलिए, इसे घरेलू उद्योग के साथ साझा नहीं की गई थी। तथापि, निर्यातक ने बिना पूर्वाग्रह के अनुरोध किया, उसने प्रस्तुत उत्तर के

आधार पर बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा किया है। इस संबंध में किए गए अनुरोधों का विवरण प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम के संगत भाग में दर्ज किया गया है।

28. निर्यातक ने घरेलू उद्योग द्वारा भरोसा की गई बाजार रिपोर्ट पर निर्यातक द्वारा दावा की गई गोपनीयता के बारे में चिंता जताई। यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग ने बिना किसी औचित्य के न तो उल्लिखित बाजार रिपोर्ट का अगोपनीय सार प्रस्तुत किया है और न ही उसकी विषय वस्तु का सार प्रस्तुत किया है। घरेलू उद्योग ने अमेरिका - हॉट-रोल्ड स्टील में निर्णयों, अमेरिका - संक्षारण-प्रतिरोधी स्टील निर्णायक समीक्षा में पैनल और अमेरिका -तेल देश ट्युबलर सामान निर्णायक समीक्षा के संबंध में अपीलीय निकाय की रिपोर्ट पर विश्वास करते हुए अनुरोध किया है कि गोपनीयता के संबंध में यह दावा गोपनीयता पर टिप्पणी दायर करने की समय सीमा के काफी बाद प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार यह समय-बाधित और अमान्य है। यद्यपि प्राधिकारी नोट करते है कि रखे गए तर्क की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, अनुरोध समय-बाधित है, तथापि प्राधिकारी ने निर्यातक के अनुरोधों को फिर भी हल किया है।

29. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग ने आवेदन-पत्र के पैरा 113 में बाजार रिपोर्ट का नाम प्रकट किया है, अर्थात, *"चीन में मेथिल एसिटोएसीटेट बाजार: निवेश व्यवहार्यता मूल्यांकन रिपोर्ट 2025-2030"*। आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर में रिपोर्ट के नाम पर कोई गोपनीयता का दावा नहीं किया गया था। इसके अलावा, निर्यातक द्वारा उठाई गई आपत्ति पर ध्यान देते हुए, घरेलू उद्योग ने अपने लिखित अनुरोधों की तारीख 15 अक्टूबर 2025 के पैरा 77 में रिपोर्ट के स्रोत, यानी, विन्ज़ रिसर्च का खुलासा किया। घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया कि उक्त रिपोर्ट से प्राप्त/निकाली गई या उस पर निर्भर सभी सूचना आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर में शामिल थी। इस प्रकार, बाजार अनुसंधान रिपोर्ट से विचार की गई सूचना का खुलासा किया गया है। यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने चीन जन.गण. से एट्रज़िन के आयात पर प्रतिकारी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच और सीपीवीसी पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच सहित अन्य पिछली जांचों में विनज़ रिसर्च की रिपोर्टों पर भी विचार किया है - क्या चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य से उसे आगे संसाधित किया गया है या नहीं।

30. जहां तक अखिल भारतीय लैमिनेटेड फैब्रिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी पर निर्यातक द्वारा किए गए भरोसे का संबंध है, जहां शुल्क की वापसी के लिए सेस्टैट ने आदेश दिया, यह मानते हुए कि इसकी विश्वसनीयता और प्रामाणिकता संदिग्ध होने के कारण रिपोर्ट पर विचार नहीं किया जा सकता है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के इस अनुरोध पर ध्यान दिया कि संदर्भ गलत है। जबकि निर्यातक द्वारा संदर्भित मामले में, घरेलू उद्योग ने एक रिपोर्ट पर भरोसा किया था, लेकिन लेखक, स्रोत और आंकड़ों के स्रोत का खुलासा नहीं किया था, घरेलू उद्योग ने वर्तमान मामले में रिपोर्ट के नाम अर्थात, *"चीन में मेथिल एसिटोएसीटेट बाजार: निवेश व्यवहार्यता मूल्यांकन रिपोर्ट 2025-2030", उसके स्रोत अर्थात* "विनज़ रिसर्च" की पहचान की है और रिपोर्ट से लिए गए सभी विश्वास किए गए आंकड़ों का पर्याप्त सामान्य सार रिकॉर्ड में रखा है। अत: निर्यातक के रक्षा के अधिकार का हनन नहीं हुआ है।

31. जहां तक बाजार रिपोर्ट पर गोपनीयता का दावा करने के लिए उचित औचित्य की कमी के तर्क का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते है कि चूंकि रिपोर्ट घरेलू उद्योग द्वारा तीसरे पक्षकार के माध्यम से प्राप्त की गई है, इसलिए यह सार्वजनिक रूप से दस्तावेज़ का खुलासा करने के लिए अधिकृत नहीं है। आवेदन-पत्र में रिपोर्ट पर ऐसी गोपनीयता का दावा करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उचित औचित्य प्रदान किया गया है।

32. निर्यातक ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के निवेश दावों के बीच असंगति की कमी है। निवेश दावों के संबंध में, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने अपने लिखित अनुरोधों के माध्यम से अनुरोध किया है कि उसे 710 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की मंजूरी मिली है और वह आगे की मंजूरी लेने की प्रक्रिया में है।

33. निर्यातक द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि आवेदक द्वारा संबद्ध सामानों पर आगे निवेश करने के बयानों पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है और प्राधिकारी से इसके लिए सबूत मांगने का अनुरोध किया गया है। घरेलू उद्योग ने अपने बाद के अनुरोधों के माध्यम से गुजरात के दहेज में एक नया विनिर्माण स्थल स्थापित करने के लिए 710 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की मंजूरी के संबंध में एक सार्वजनिक प्रकटन को रिकॉर्ड पर रखा है, जहां मिथाइल एसिटोएसीटेट निर्मित किए

जाने वाले उत्पादों में से एक है। घरेलू उद्योग ने उक्त विनिर्माण स्थल के लिए प्राप्त पर्यावरण मंजूरी की एक प्रति भी प्रदान की। पर्यावरण मंजूरी से यह देखा जाता है कि संबद्ध सामान उक्त स्थल पर निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित उत्पादों में से एक है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया कि वह अतिरिक्त निवेश को जोड़ने के लिए बोर्ड से मंजूरी लेने की प्रक्रिया में है।

च. <u>विविध अनुरोध</u>

च.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

34. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

क. निर्यातक के नमूने के लिए आवेदक का अनुरोध अनावश्यक और अनुचित है क्योंकि प्रतिभागी निर्यातक एक ही है।

ख. शुल्क की समाप्ति एक मानदंड है जबकि निरंतरता एक अपवाद है। शुल्क की निरंतरता के लिए कोई असाधारण परिस्थितियाँ मौजूद नहीं हैं। शुल्क 9 वर्षों से लागू हैं, जुबिलेंट ने बाजार में प्रवेश किया है, स्विट्जरलैंड से आयात बढ़ गया है।

ग. आधार वर्ष के रूप में 21-22 को लेना और इसकी तुलना परवर्ती वर्षों से करने से क्षति का हेराफेरी वाला विश्लेषण दर्शाएगा क्योंकि आधार वर्ष में मांग कोविड के कारण अधिक थी।

घ. आवेदक ने दावा किया है कि जुबिलेंट की क्षति की सूचना के अगोपनीय रूपांतर में ब्रैकेटिंग गायब थी और इसे ठीक कर दिया गया है। आंकड़ों में हेराफेरी की संभावना है। प्राधिकारी से सबूत मांगने का अनुरोध किया जाता है।

ड. आवेदक निवेश नहीं करेगा यदि यह संबद्ध आयात से प्रभावित होता है। शुल्क का विस्तार करने के लिए निवेश एक रणनीतिक कदम है।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

35. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

क. आवेदक ने लाभप्रदता दर्शाने वाले जुबिलेंट के निष्पादन मापदंडों को अनुरोध करते समय अनजाने में नकारात्मक चिह्न या कोष्ठक छोड़ दिया। संशोधित क्षति की सूचना लिखित अनुरोधों के साथ परिचालित की गई थी।

ख. जहां तक, शुल्कों की समाप्ति का संबंध है, नियम 23 (1बी) में प्रावधान है कि शुल्क समाप्त हो जाएगा जब तक कि इसकी समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या बार बार होने की संभावना न हो। रिकॉर्ड पर मौजूद सूचना इस तरह की संभावना के मौजूदगी को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है और यह सिद्ध करती है कि पाटन जारी है, जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है।

ग. शुल्कों की अवधि के संबंध में, डब्ल्यूटीओ करार में यह अधिदेशित है कि शुल्क जब तक और जहां तक आवश्यक हो लागू रहेगा। कानून में केवल प्राधिकारी को आवश्यकतानुसार उपायों के विस्तार की आवश्यकता का आकलन करने की आवश्यकता है। शुल्क पांच साल से अधिक या कम अवधि के लिए लागू रह सकते हैं। कानून में ऊपरी सीमा का उल्लेख नहीं है। डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों ने वर्तमान अवधि की तुलना में बहुत लंबे समय तक शुल्क बनाए रखा है।

च.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

36. घरेलू उद्योग ने संबद्ध देश में बड़ी संख्या में उत्पादकों को ध्यान में रखते हुए नमूनाकरण का अनुरोध किया, चूंकि वर्तमान जांच में केवल एक निर्यातक ने खुद को एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत किया है, इसलिए प्राधिकारी ने नमूनाकरण का सहारा नहीं लिया है।

37. जहां तक निर्यातक के इस तर्क का संबंध है कि शुल्क की समाप्ति एक मानदंड है, प्राधिकारी नोट करते है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 (1बी) में यह प्रावधान है कि *"......किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसके लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा बशर्ते निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त अवधि से पूर्व अपनी खुद की पहल पर या घरेलू उद्योग की ओर से किए गए विधिवत् पुष्टि; तथा अनुरोध के आधार पर उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उचित अवधि के भीतर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उक्त शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी*

रहने या बार-बार होने की संभावना है।" इस प्रकार, जब पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के साक्ष्य से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने अथवा बार-बार होने की संभावना है तो फिर उन शुल्कों को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, जहां तक शुल्क की अवधि के संबंध में तर्क का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते है कि पाटनरोधी नियमावली में शुल्कों की अवधि के संबंध में ऊपरी सीमा का प्रावधान नहीं है। वर्तमान निर्णायक जांच का उद्देश्य यह जांचना है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति जारी रहने अथवा बार-बार होने होने की संभावना होगी। तदनुसार, प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम के संगत भागों के तहत पाटन और क्षति से संबंधित सूचना नोट की है।

38. निर्यातक ने इस आधार पर 2021-2022 को आधार वर्ष मानने की उपयुक्तता पर चिंता जताई है कि इस अवधि के दौरान मांग कोविड-19 से प्रभावित हुई थी। इस संबंध में, प्राधिकारी नोट करते है कि, निर्णायक समीक्षा जांच के लिए लागू समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए, घरेलू उद्योग ने जनवरी 2024 - दिसंबर 2024 को जांच की अवधि के रूप में प्रस्तावित करते हुए एक आवेदन-पत्र दायर किया, जो प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त पाया गया था। तदनुसार, मानी गई क्षति की अवधि 2021-22, 2022-23, 2023-24 और जांच की अवधि थी। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि व्यापार सूचना 02/2004 में यह अपेक्षित है कि आवेदन-पत्र में अनिवार्य रूप से प्रस्तावित जांच की अवधि और पूर्व तीन वित्तीय वर्षों से संबंधित सूचना और आंकड़े शामिल होने चाहिए। उक्त आवश्यकता को देखते हुए, क्षति की जांच अवधि से 2021-2022 को बाहर करना संभव नहीं था। जहां तक निर्यातक के इस तर्क का संबंध है कि आधार वर्ष के साथ तुलना से क्षति का हेरा-फेरी वाला विश्लेषण को दर्शाया जाएगा, प्राधिकारी ने इस अंतिम जांच परिणाम के संगत भाग में क्षति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की जांच की है, जिसमें जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच करने के लिए उचित सावधानी बरती गई है।

39. घरेलू उद्योग ने पहली सुनवाई के बाद दायर अपने लिखित अनुरोध में स्पष्ट किया कि उसने जुबिलेंट के निष्पादन मापदंडों और परिणामस्वरूप लाभों का अगोपनीय रूपांतर अनुरोध करते समय अनजाने में कोष्ठक छोड़ दिया। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने इस तरह का स्पष्टीकरण देते हुए, जुबिलेंट की क्षति की सूचना के अगोपनीय रूपांतर को संशोधित किया और इसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ

विधिवत परिचालित किया। यह नोट किया जाता है कि जुबिलेंट ने अपना समर्थन पत्र प्रदान करते समय घरेलू उद्योग के साथ अपने वास्तविक निष्पादन के बारे में सूचना भी साझा की। उसी का गोपनीय रूपांतर घरेलू उद्योग द्वारा रिकॉर्ड में रखा गया था। उत्पादक के पास क्षति की गोपनीय सूचना का अवलोकन वास्तव में हानियां दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, रिकॉर्ड पर रखी गई सूचना की सच्चाई की जांच करने और जुबिलेंट के निष्पादन में कथित विसंगतियों को दूर करने के लिए, प्राधिकारी ने सत्यापन के लिए जुबिलेंट से संगत बैकअप सूचना मांगी। जुबिलेंट से प्राप्त सत्यापित सूचना से पता चलता है कि क्षति की अवधि के दौरान, उत्पादक की बिक्री वसूली उत्पादन की लागत से कम थी, जिसके परिणामस्वरूप हानियां हुई। उपर्युक्त के आलोक में, प्राधिकारी का मानना है कि यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं है कि जुबिलेंट से संबंधित क्षति के आंकड़ों में घरेलू उद्योग द्वारा हेरा-फेरी की गई है।

40. निर्यातक ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा आगे शुल्क बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि शुल्क लगाने से बाजार का स्थिरीकरण, हानियों का उलटफेर और उचित लाभप्रदता सक्षम हुई, जिसने बदले में एक नए उत्पादक और आगे निवेश के प्रवेश को भी सुगम बनाया। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक द्वारा दिया गया तर्क केवल एक बयान है और यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि इस पैमाने का निवेश केवल शुल्क जारी रखे जाने को प्रभावित करने के लिए एक रणनीतिक कदम था।

छ. <u>पाटन का आकलन और सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत तथा पाटन मर्जिन का निर्धारण</u>

छ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

41. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. नांतोंग एसिटिक एसिड चीन जन.गण. में सूचीबद्ध कंपनी है। यह मांग-आपूर्ति संबंधों द्वारा निर्धारित बाजार सिद्धांतों के आधार पर अपने उत्पादन,

बिक्री, खरीद के निर्णय लेता है और किसी भी गैर-बाजार मध्यस्थता से मुक्त है। कंपनी उच्च स्तर की पारदर्शिता, शासन अनुपालन और खुलेपन के साथ काम करती है, जो इसे गैर-सूचीबद्ध कंपनियों से अलग करती है।

ख. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह सामान्य मूल्य निर्धारित करने के उद्देश्य से कंपनी को बाजार अर्थव्यवस्था का स्तर प्रदान करें। निर्धारित मानदंडों की पूर्ति के बावजूद बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार से इनकार करना नैनटोंग द्वारा ही चीन से प्रमुख आयातों को ध्यान में रखते देखते हुए नैनटोंग के हितों के विपरीत होगा।

ग. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित कारखानागत तुलना सिद्ध करने के लिए, निर्यातक ने घरेलू बिक्री के मामले में अंतर्देशीय माल भाड़ा और क्रेडिट लागत और निर्यात बिक्री के मामले में समुद्री माल भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय माल भाड़ा, क्रेडिट लागत और बैंक शुल्क के कारण समायोजन का दावा किया है।

घ. कीमत समायोजन के लिए कोई वसूल न की जाने वाली वैट राशि नहीं है।

ङ. आवेदक ने निर्यातक द्वारा चीनी और भारतीय सीमा शुल्क प्राधिकारी के समक्ष किए गए विरोधाभासी दावों को सत्यापित करने के लिए कहा है। ये अनुरोध बहुत दूर के हैं। इसके अलावा, कंपनी के सभी कार्यों के संबंध में पूर्णता परीक्षण अनावश्यक है। निर्यातकर्ता के आंकड़ों में हेरफेर करने का कोई इरादा नहीं है।

च. इस तथ्य को देखते हुए कि निर्यातक भारत को अधिकांश निर्यात के साथ एकमात्र उत्तरदाता पक्षकार है, नैनटोंग के आंकड़े को सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन की गणना के लिए माना जाना चाहिए।

छ. प्राधिकारी से अनुरोध है कि यदि शुल्क जारी रखने का सकारात्मक निर्धारण है तो पूर्व शुल्क जारी रखा जाए।

ज. यह निर्धारित करने के लिए कि पाटन हुआ है या नहीं, वर्तमान क्षति की अवधि में संबद्ध आयात की मात्रा का आकलन किया जाना चाहिए।

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

42. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए। इसकी घरेलू कीमतों और लागत पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि निर्यातक यह न दर्शाए कि लागत और घरेलू कीमतें उचित हैं और उचित रूप से विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमत को दर्शाती हैं। चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया चाहिए।

ख. सामान्य मूल्य का अनुमान लगाने के लिए, बाजार अर्थव्यवस्था के तीसरे देशों में प्रचलित कीमत के साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए, हालांकि, कोई प्रकाशित सूचना नहीं मिली। बाजार अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य का निर्माण करने के प्रयास किए गए लेकिन सूचना की कमी के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। किसी अन्य देश में तीसरे देश से आयात पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उत्पाद का विश्व स्तर पर समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण नहीं है। इसके अलावा, अन्य देशों से भारत में आयात पर विचार नहीं किया जा सकता है, चीन के अलावा, स्विट्जरलैंड से आयात है, जो पाटित कीमतों पर हैं और एक समानांतर जांच के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त, भारत प्रदत्त कीमत पाटन से प्रभावित है। इसलिए, बिक्री, सामान्य, प्रशासनिक खर्च और उचित लाभ सहित भारत में उत्पादन की लागत को ध्यान में रखते हुए भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया गया है।

ग. नंतोंग ने घरेलू बिक्री का विवरण प्रदान किया है और प्राधिकारी से सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए इसका उपयोग करने का अनुरोध किया है। तथापि, चूंकि निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, अत: प्राधिकारी को नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित करना चाहिए।

घ. गौण स्रोत के आंकड़ों के अनुसार आयात की मात्रा और मूल्य के आधार पर कारखानागत निर्यात कीमत का अनुमान लगाया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री

बीमा, बंदरगाह व्यय, बैंक शुल्क और अंतर्देशीय माल भाड़ा व्यय के निमित्त समायोजन किया गया है।

ड. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह जांच करे कि क्या निर्यातक ने उत्पाद के निर्यात में उनके द्वारा किए गए सभी खर्चों की सूचना दी है। सभी कारकों के लिए कीमत समायोजन किया जाना चाहिए जो सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच कीमत तुलनीयता को प्रभावित करते हैं।

च. पूर्व में, प्राधिकारी ने वैट अंतर के लिए समायोजन किया था, जिसे हाल ही में कीमत समायोजन के रूप में सूचित नहीं किया गया है। प्राधिकारी को सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच तुलनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कीमत समायोजन करना चाहिए।

छ. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह डीजीसीआईएंडएस और डीजी सिस्टम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निर्यातक द्वारा बताई गई निर्यात मात्रा और मूल्यों का सत्यापन करे, प्रश्नावली के उत्तर को अस्वीकार करे और जब दावे भारतीय सीमा शुल्क के आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं तो उपलब्ध तथ्यों का उपयोग करे, और चीनी और भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों को अनुरोध किए गए बीजकों, आय और व्यय की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए गए लेखांकन बीजकों, बैंक विवरण और पार्टी पक्षकार खाता रिकॉर्ड सहित भुगतान प्रमाण की जांच करे। यदि कोई निर्यातक चीनी और भारतीय सीमा शुल्क को विरोधाभासी कीमतों की सूचना देता है, और यदि निर्यातक भारतीय खरीदारों से भुगतान का पर्याप्त प्रमाण प्रदान करने में विफल रहते हैं तो उत्तर को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

ज. केवल एक्सेल फाइलें समायोजन का पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं। सटीकता और पर्याप्तता सिद्ध करने के लिए, उन्हें संगत दस्तावेजों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को निर्यातकों को साक्ष्य के साथ आवश्यक सूचना अनुरोध करने का निर्देश देना चाहिए।

झ. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह निर्यातक के ईक्यूआर का पूर्णता परीक्षण करे, जिसमें सभी कंपनी प्रचालन और विशेष रूप से जांच की अवधि से संबंधित प्रचालन शामिल हों।

ञ. सूचीबद्ध होने से यह सिद्धत नहीं होता है कि कोई कंपनी बाजार-अर्थव्यवस्था की स्थितियों के तहत काम करती है। किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से, अपने आप में, राज्य का प्रभाव या नियंत्रण समाप्त नहीं होता है, न ही यह प्रदर्शित करता है कि कीमतें, लागत और वित्तीय निर्णय पूरी तरह से बाजार बलों द्वारा निर्धारित होते हैं।

ट. निर्यातक की वार्षिक रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि कम से कम 19% शेयरधारिता राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के पास है, जो इसके प्रबंधन और प्रचालनों में राज्य की भागीदारी और संभावित प्रभाव का प्रमाण है।

ठ. नंतोंग ने संबद्ध सामानों पर पिछली जांच में भी भाग लिया था, लेकिन बाजार-अर्थव्यवस्था व्यवहार की मांग नहीं की थी, न ही इसे कभी ऐसा व्यवहार दिया गया था। इसने परिस्थितियों में कोई बदलाव भी प्रदर्शित नहीं किया है जो अब इसे बाजार-अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान करने को उचित ठहराता है।

ड. निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात की मात्रा बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के निर्धारण के लिए महत्वहीन है।

ढ. जहां तक भारत में नांटोंग द्वारा पाटन न किए जाने का संबंध है, मार्जिन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए। आवेदक के अनुमान के अनुसार मार्जिन काफी हैं। इसलिए, यह सच नहीं है कि निर्यातक पाटन में लिप्त नहीं है।

छ.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

क. <u>सामान्य मूल्य</u>

43. धारा 9क(1)(ग) के तहत, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:

> *(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*
>
> *(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के*

कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

44. डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखत प्रावधान है:

"जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद -VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण ,उत्पादन और बिक्री के

संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) *आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।*

(iii) *एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।*

(iv) *आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।*

(v) *आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ क (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप*

पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

45. प्राधिकारी नोट करते है कि यद्यपि चीन जन.गण. के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(ii) के प्रावधान 11 दिसंबर, 2016 से समाप्त हो गए हैं। तथापि अभिगम नयाचार की धारा 15(क)(i) के तहत दायित्व के साथ पठित पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा करने संबंधी पूरक प्रश्नावली में दिए जाने के लिए सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट होने के लिए पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-। के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड की अपेक्षा होती है।

46. जांच की शुरुआत के स्तर पर, प्राधिकारी ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्चों और लाभों को विधिवत समायोजित करने के बाद घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य निर्मित किया। जांच शुरु करने पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को जांच की शुरुआत की सूचना का उत्तर देने और अपने बाजार अर्थव्यवस्था स्तर के निर्धारण से संगत सूचना प्रदान करने की सलाह दी। प्राधिकारी ने नियमावली के अनुबंध-। के पैरा 8(3) में निर्धारित मानदंडों के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का खंडन करने और संगत विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने के लिए सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं।

47. प्राधिकारी चीन जन.गण. में उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान नोट करते हैं:

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा

यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

"8(1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं कि बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।"

(2) यह कहना पूर्वनुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षें के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्लू .टी.ओ.के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित अथवा माना गया है, एक गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची समग्रियों प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा परिसम्पत्तियों के मूल्यहृास, अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा

भुगतान के संबंध में; (ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्व की गांरटी देता है; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते है ; तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते है।

(4) उप पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी जो संगत मापदंड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं जिसमें उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंड में किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन का प्रकाशन शामिल हो, जिसे विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश द्वारा पाटनरोधी जॉच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए माना या निर्धारित किया हो"

48. जांच की शुरुआत के स्तर पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश मानने की धारणा से कार्यवाही की। जांच शुरु करने पर, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. में उत्पादकों/निर्यातकों को यह सलाह दी कि वे जांच की शुरुआत की सूचना का उत्तर दें और यह सूचना दें कि क्या उनके आंकड़े/सूचना को सामान्य मूल्य निर्धारण के लिए अपनाया जा सकता है। प्राधिकारी ने इस संबंध में संगत सूचना प्रदान करने के लिए चीन जन.गण. में सभी ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार/पूरक प्रश्नावली की प्रतियां भेजीं।

49. चीन में एक उत्पादक, नानटोंग एसिटिक एसिड ने वर्तमान जांच में खुद को पंजीकृत किया और निर्यातकों की प्रश्नावली का उत्तर दायर किया। निर्यातक ने अनुरोध किया है कि वह बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के मानदंडों को पूरा करता है क्योंकि वह एक सूचीबद्ध कंपनी है, इसके व्यावसायिक निर्णय मांग-आपूर्ति की गतिशीलता से संचालित होते हैं, इसमें कोई महत्वपूर्ण सरकारी हस्तक्षेप नहीं है, और इसके प्रचालन कारपोरेट प्रशासन के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। तदनुसार, निर्यातक ने अनुरोध किया है कि उसे इस जांच के प्रयोजनों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार दिया जाए। तथापि, जबकि निर्यातक को अच्छी तरह से पता था कि उसे एक बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली जमा करने की आवश्यकता है, उसने नियमावली के

अनुबंध-। के पैरा 8 में उल्लिखित अनुमानों का खंडन करने के लिए पूरक प्रश्नावली का उत्तर जान-बूझकर दायर नहीं किया है। एमईटी प्रश्नावली पर जोर देते हुए घरेलू उद्योग के अनुरोध पर, निर्यातक ने बिना कोई कारण बताए एमईटी प्रश्नावली का उत्तर दायर करने से इनकार कर दिया था। इस संबंध में, प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इन अनुरोधों को भी नोट करते हैं कि कंपनी सूचीबद्ध होने से, यह सिद्ध नहीं होता है कि वह बाजार-अर्थव्यवस्था की स्थितियों के तहत काम करती है। घरेलू उद्योग द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि निर्यातक की वार्षिक रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी कम से कम 19% शेयरधारिता सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के पास है। इसके अतिरिक्त, निर्यातक ने पिछली जांच में भी भाग लिया लेकिन बाजार-अर्थव्यवस्था व्यवहार की मांग नहीं की। उसने ऐसी परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं दर्शाया है जो अब इसे बाजार-अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान करने को उचित ठहराएगा। प्राधिकारी की स्थापित परिपाटी को देखते हुए, निर्यातक के बाजार अर्थव्यवस्था के दावे को अपेक्षित सूचना के अभाव में रद्द किया जाता है। प्राधिकारी वर्तमान जांच में चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मानना उचित समझते हैं और चीन जन.गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध-। के पैरा 7 के अनुसार कार्यवाही करते हैं।

50. पैराग्राफ 7 गैर-बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य की गणना के लिए कई प्रशंसनीय तरीकों को निर्धारित करता है, जिसमें (क) बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर शामिल है; (ख) ऐसे तीसरे देश से अन्य देश, जिसमें भारत भी शामिल है; और (ग) किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए आवश्यक रूप से समायोजित, समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान किया गया या देय मूल्य शामिल है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध 7 के तहत प्रदान किए गए विभिन्न क्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता है।

51. सामान्य मूल्य पर विचार करने के लिए पक्षकारों द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य के आधार पर कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है। इस प्रकार, बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में प्रचलित कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अन्य देशों में

आयात की कीमत पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उत्पाद का लेनदेन अलग-अलग कोड के तहत किया जा रहा है। भारत में आयात के संबंध में, यह देखा गया है कि जांच की अवधि में संबद्ध सामानों का आयात चीन जन.गण. और स्विट्जरलैंड से देश में प्रवेश कर रहा है। जबकि स्विट्जरलैंड से आयात भारत में कुल आयात का 37% है और ऐसे आयात एक समानांतर पाटनरोधी जांच के अधीन हैं। इस प्रकार, भारत सहित अन्य देशों में बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से आयात को सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नहीं माना जा सकता है।

52. सामान्य मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकारी के समक्ष उपरोक्त सूचना/साक्ष्य के अभाव में, प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-। के पैरा 7 में निर्धारित "भारत में वास्तव प्रदत्त अथवा देय कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार" के आधार पर चीन जन.गण. से सभी निर्यातकों/ उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। अत:, सामान्य मूल्य की गणना घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर की गई है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च और लाभ मार्जिन को उचित रूप से जोड़ा गया है। इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य को पाटन मार्जिन तालिका में नीचे दिया गया है।

ख. <u>निर्यात कीमत</u>

53. निर्यातक द्वारा दायर उत्तर की जांच नीचे की गई है:

<u>नंतोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी, लिमिटेड</u>

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल नैनटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कं. लिमिटेड ने वर्तमान जांच में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया। वह चीन में संबद्ध सामानों का एक उत्पादक/निर्यातक है और जांच की अवधि के दौरान भारत में असंबद्ध ग्राहकों को विचाराधीन उत्पाद का सीधे निर्यात किया है। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान, नैनटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कं, लिमिटेड, चीन ने सीधे *** एमटी संबद्ध सामानों का निर्यात किया है।

55. प्राधिकारी ने उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रश्नावली के उत्तर में दिए गए निर्यात के विवरण की जांच की है। भारतीय ग्राहकों को बिक्री का *** एमटी सीआईएफ आधार पर है, जबकि शेष *** एफओबी आधार पर है। निर्यातक ने सीआईएफ निर्यात के

मामले में समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, क्रेडिट लागत, बैंक शुल्क और अंतर्देशीय भाड़ा खर्चों के निमित्त समायोजन और एफओबी निर्यात के मामले में क्रेडिट लागत, बैंक शुल्क और अंतर्देशीय भाड़ा खर्चों के निमित्त समायोजनों का दावा किया है। प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा दावा किए गए खर्चों को उसकी निर्यात कीमत का अनुमान लगाने में ध्यान में रखा है। प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

<u>चीन में अन्य उत्पादक/निर्यातक</u>

56. चीन जन.गण. से अन्य सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत नियमावली के नियम 6(8) के संदर्भ में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

ग. <u>पाटन मार्जिन</u>

57. संबद्ध देश के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य, कारखानागत निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन निम्नलिखित हैं:

पाटन मार्जिन तालिका

उत्पादक	सामान्य मूल्य (यूएसडॉ./एमटी)	निर्यत कीमत (यूएसडॉ./एमटी)	पाटन मार्जिन (यूएसडॉ./एमटी)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज)
नंतोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी, लिमिटेड।	***	***	***	***	30-40
अन्य	***	***	***	***	40-50

58. प्राधिकारी मानते हैं कि जांच की अवधि में पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और काफी है।

ज. क्षति का मूल्यांकन

ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों विचार

59. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. कोविड के कारण आधार वर्ष में मांग अधिक थी। मांग में बाद में गिरावट के साथ, आवेदक की बिक्री में गिरावट आई।

ख. कोई मात्रात्मक क्षति नहीं है। संबद्ध देश से मात्रा में गिरावट आई है। घरेलू बिक्री 20-21 में कम हो गई और जांच की अवधि में आधार वर्ष के स्तर तक बढ़ गई। कोविड के कारण आधार वर्ष में मांग अधिक थी और बाद में कम हो गई। साथ ही, पिछले दो वर्षों में आवेदक की बिक्री में वृद्धि हुई, जो आधार वर्ष के स्तर से मेल खाती है। इसके अतिरिक्त, स्विट्जरलैंड से आयात में वृद्धि हुई है जो पाटन करने के उसके इरादे को दर्शाता है। यहां तक कि जब आयात में गिरावट आई, तब भी आवेदक के लाभ में कमी आई है।

ग. कोई कीमत क्षति नहीं है। घरेलू बिक्री कीमत में कमी लागत के अनुरूप है।

घ. प्रदान की गई कीमत कटौती की गणना में मौजूदा शुल्क शामिल नहीं है। शुल्क को शामिल करने के बाद नैनटोंग के लिए कीमत कटौती नकारात्मक है।

ङ. चूंकि अग्रिम लाइसेंस योजना के तहत पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं हैं, इसलिए संबद्ध आयात पर ऐसे शुल्क लगाना अप्रभावी होगा। भले ही शुल्क जारी रहे, लेकिन इससे घरेलू उद्योग को लाभ नहीं होगा, क्योंकि अधिकांश आयात इस योजना के माध्यम से उन्हें बाहर कर देते हैं।

च. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे विचाराधीन उत्पाद में आवंटित लागत को सत्यापित करे क्योंकि आवेदक एक बहु-उत्पाद कंपनी है, और उनकी लागत एनपीयूसी का अतिव्यापन कर सकती है। कोई भी दोषपूर्ण आवंटन नैनटोंग के हित के लिए बेहद हानिकारक साबित होगा।

छ. आवेदक की क्षमता समान रही है और जांच की अवधि में उपयोग बढ़ गया है। हालांकि, विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन मात्रा में कमी आई है। यहां तक कि जब 23-24 में उपयोगिता में 26 अंकों की वृद्धि हुई, तो उत्पादन में केवल 6 अंकों की वृद्धि हुई।

ज. आवेदक की बाजार हिस्सेदारी में काफी वृद्धि हुई जबकि चीन की हिस्सेदारी में गिरावट आई। जुबिलेंट भी बाजार पर अच्छी पकड़ बनाने में कामयाब रही है। इसके अलावा, स्विट्जरलैंड की बाजार हिस्सेदारी भी बढ़ी है।

झ. यदि आवेदक का पाटन का दावा सही होता, तो जुबिलेंट ने निवेश नहीं किया होता और बाजार में प्रवेश नहीं किया होता। कंपनियां आमतौर पर किसी भी उद्योग में प्रवेश करने से पहले बाजार की स्थितियों और संभावित लाभप्रदता का आकलन करती हैं। प्राधिकारी को जुबिलेंट से अनुमानित लाभ की तलाश करनी चाहिए और इसकी तुलना वास्तविक निष्पादन से करनी चाहिए।

ञ. जबकि आधार वर्ष से लाभ 23-24 तक गिर गया, जांच की अवधि में यह काफी बढ़ गया। यहां तक कि जांच की अवधि से पहले लाभ में गिरावट आई, तो भी 23-24 की अवधि को छोड़कर यह घाटे में नहीं बदला। इसके अलावा, कोविड के दौरान आवेदक द्वारा असाधारण लाभ अर्जित करने के कारण 21-22 के लाभ पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

ट. आयात कीमतों में गिरावट केवल संबद्ध आयात तक ही सीमित नहीं थी। कोविड-19 महामारी के अंत को देखते हुए फार्मास्यूटिकल्स में मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद की घटती मांग के कारण यह एक वैश्विक घटना थी।

ठ. मालसूची में वृद्धि निर्यात में कमी के कारण है, न कि घरेलू बिक्री के कारण।

ड. आवेदक बाजार में बढ़ा है और उसे लम्बा संरक्षण मिला है।

ढ. प्राधिकारी को निर्यात में कमी के कारण लाभ में गिरावट, आधार वर्ष में कोविड के प्रभाव, जुबिलेंट के प्रवेश, स्विट्जरलैंड की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि सहित अन्य कारकों की जांच करनी चाहिए।

ण. प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे विचाराधीन उत्पाद की आवंटित लागत का सत्यापन करे क्योंकि आवेदक एक बहु-उत्पाद कंपनी है, और उनकी लागत एनपीयूसी का अतिव्यापन कर सकती है। कोई भी दोषपूर्ण आवंटन नैनटोंग के हित के लिए अत्यधिक हानिकारक साबित होगा।

प. आवेदक मात्रा से संबंधित क्षति का दावा करने के लिए पिछली जांच से आंकड़े का चुनिंदा उपयोग कर रहा है, जो वर्तमान क्षति अवधि के लिए आंकड़ों से समर्थित नहीं है।

फ. आवेदक ने इस दावे के खिलाफ कोई सबूत नहीं दिया है कि संबद्ध देश ने उनके शुल्कों को खपा लिया है।

ब. घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि उसने पिछले पाटनरोधी शुल्क के लाभों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया है, यह दर्शाता है कि उसे जो भी क्षति हुई है, वह काफी हद तक स्व-प्रभावित है। शुल्क लागू रहते समय कार्य करने में विफल रहने पर, आवेदक का विस्तार मांगने का वर्तमान प्रयास निर्यातकों के लिए अवसरवादी और अनुचित प्रतीत होता है।

ज.2 <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

60. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. शुल्क लागू होने के बावजूद, पाटित आयात से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होना जारी हे।

ख. कोविड-19 महामारी के दौरान, संबद्ध सामानों की मांग एपीआई में उसके प्रयोग के कारण सामान्य स्तर पर लौटने से पहले आधार वर्ष में अधिक थी। तथापि, ऐतिहासिक प्रवृत्ति से पता चलता है कि मूल जाँच के आधार वर्ष से वर्तमान जांच की अवधि तक मांग में ***% की वृद्धि हुई है। पहली निर्णायक समीक्षा की जांच की अवधि की तुलना में मांग स्थिर रही है।

ग. जुबिलेंट द्वारा उत्पादन शुरू होने के कारण क्षति की अवधि के दौरान पूर्ण और सापेक्षिक रूप से संबद्ध आयात की मात्रा में गिरावट आई। आयात कुल आयात का 57% और मांग का ***% है।

घ. आयात कुल आयात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पाटनरोधी करार 3% की मात्रा को जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त मानता है। यूरोपीय आयोग, जांच शुरु करने के लिए, 1% या उससे अधिक के बाजार हिस्से को भी पर्याप्त मानता है।

ड. 2022-23 को छोड़कर, क्षति की अवधि के दौरान कीमत कटौती सकारात्मक थी। क्षति की अवधि में कीमत अंतर काफी बढ़ गया है।

च. 2023-24 और जांच की अवधि में पहुंच मूल्य लागत से भी नीचे चला गया।

छ. महत्वपूर्ण आयात अग्रिम प्राधिकार योजना के तहत किए जा रहे हैं जहां पाटनरोधी शुल्क और मूल सीमा शुल्क देय नहीं है। इस तरह की कीमतें घरेलू बाजार में कीमतें निर्धारित कर रही हैं, जिससे घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत प्रभावित हो रही है।

ज. पाटित आयातों से बाजार में कीमत ह्रास हुआ है। लागत और घरेलू बिक्री कीमत दोनों में गिरावट आई, लेकिन बिक्री कीमत में गिरावट लागत में गिरावट से अधिक थी। इसके अतिरिक्त, पहुंच कीमत में और भी अधिक गिरावट आई जिससे घरेलू उद्योग को अपनी कीमत कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

झ. घरेलू उद्योग की क्षमता स्थिर रही, जबकि इसके उत्पादन की मात्रा में गिरावट देखी गई। कीमत में गिरावट के परिणामस्वरूप जांच की अवधि में बिक्री मात्रा में वृद्धि हुई।

ञ. जबकि चीन की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है, यह पिछली निर्णायक समीक्षा जांच में ***% की तुलना में अधिक है और ***% से अधिक है।

ट. घरेलू उद्योग उस समय लाभप्रद था जब आयात कीमतें उत्पादन लागत से अधिक थीं। चूंकि 2022-23 में और 2023-24 में आयात की कीमत में

गिरावट आई, घरेलू उद्योग का लाभ हानि में बदल गया, जिसमें जांच की अवधि में केवल मामूली सुधार हुआ।

ठ. 2023-24 में मामूली गिरावट को छोड़कर, औसत मालसूची स्तर में काफी वृद्धि हुई।

ड. वर्ष 2023-24 तक रोजगार का स्तर कम हुआ और उसके बाद यह स्थिर रहा। इस अवधि में वेतन और मजदूरी में भी गिरावट आई। प्रति दिन उत्पादकता में कमी, उत्पादन में कमी के अनुरूप हुई।

ढ. मात्रा और कीमत मानदंडों के संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि पर पाटित आयातों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

ण. संबद्ध देश से आयातों का बाजार में महत्वपूर्ण हिस्सा है। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग अपनी बाजार हिस्सेदारी नहीं बढ़ा सका।

त. संबद्ध देश से आयात न केवल घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तावित बिक्री कीमत से कम है, बल्कि बिक्री की लागत से भी कम है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में गिरावट आई है।

थ. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

द. आवेदक को विकल्प की उपलब्धता के कारण कोई क्षति नहीं हो रही है।

ध. विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी के साथ-साथ उत्पादन प्रक्रिया में कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है।

न. कोई व्यापार-प्रतिबंधात्मक परिपाटी नहीं है।

प. क्षति के आंकड़े केवल उद्योग के घरेलू प्रचालन को दर्शाता है, जिसमें निर्यात से कोई प्रभाव शामिल नहीं है।

फ. जिस कीमत पर शुल्क-मुक्त आयात किए जाते हैं, वह पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में सामानों की वह कीमत दर्शाती है जिस पर आयात किए जाने की संभावना है।

ब. शुल्क मुक्त आयात का घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव पड़ता है, और इसके प्रभाव को प्राधिकारी द्वारा पिछली दोनों जांचों में माना गया है।

भ. डीजीटीआर ने यह पाए जाने के बाद भी पाटनरोधी शुल्क लगाने या बढ़ाने की सिफारिश की है कि महत्वपूर्ण या संपूर्ण आयात अग्रिम प्राधिकार के तहत थे।

म. नकारात्मक कीमत कटौती की मौजूदगी का अर्थ कीमत संबंधी क्षति का अभाव ही नहीं है। प्राधिकारी ने कई मामलों में शुल्क की सिफारिश की है जहां कीमत कटौती नकारात्मक थी। कीमत कटौती और न्यूनीकरण/ह्रास के बीच, एक मानदंड मौजूद रहे।

य. जुबिलेंट काफी हानियों पर बेचकर मात्रा हासिल करने और कुछ बाजार प्राप्त करने में भी सक्षम रहा है। उत्पादक अभी तक ब्रेक-इवन पॉइंट तक भी नहीं पहुंचा है।

कक. जहां तक इस तर्क का सवाल है कि मात्रा में कमी का अभाव है, आवेदक के की मापदंडों में तेजी से गिरावट आई है। बिक्री लाभप्रदता की लागत पर बढ़ी है। शुल्कों के लागू होने और भारत में नई क्षमताएं आने के बावजूद, संबद्ध आयात पाटित किए जा रहे हैं और बाजार में काफी हिस्से को बनाए रखा जा रहा है। लाभप्रदता में गिरावट सीधे आयात कीमत में गिरावट से संबंधित है।

खख. जबकि क्षति की सूचना के अगोपनीय रूपांतर से ऐसा लग सकता है कि जांच की अवधि में लाभ में काफी वृद्धि हुई है, आवेदक ने लागत से मामूली रूप से ऊपर की कीमतों पर बेचा। ***% का सीमांत लाभ वसूली का संकेत नहीं देता है।

गग. निर्यातक का यह दावा कि आवेदक "बाजार में फला-फूला है" उसका विरोधाभासी, जो आंकड़े दर्शाते है। यह नकारा नहीं जा सकता कि शुल्क प्रभावी थे, और घरेलू उद्योग ने पिछली समीक्षा जांच में उचित लाभ कमाया था। तिाापि, वर्तमान जांच में, आयात कीमतों में भारी गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को क्षति होनी शुरू हो गई है।

घघ. आवेदक का निष्पादन प्रतिकूल बना हुआ है और उसकी स्थिति कमजोर बनी हुई है, जो शुल्कों को जारी रखने का औचित्य बनाती है।

ज.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

61. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

62. नियमावली के नियम 23 में प्रावधान है कि नियम 6,7,8,9,10,11,16,18,19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित समीक्षा के मामले में लागू होंगे। घरेलू उद्योग के निष्पादन के मामले में, यह पता चलता है कि वर्तमान क्षति अवधि के दौरान उसे क्षति नहीं हुई है, प्राधिकारी यह निर्धारित करेंगे कि क्या वर्तमान शुल्क बंद करने से घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या बार-बार होने की संभावना है।

63. घरेलू उद्योग ने आरोप लगाया है कि वह पाटित संबद्ध आयात के कारण उसको वास्तविक क्षति हो रही है। प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध को नोट किया है और निम्नलिखित रूप में नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है।

ज.3.1 <u>पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव</u>

क. मांग/खपत का मूल्यांकन

64. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री, अन्य घरेलू उत्पादक की घरेलू बिक्री

और सभी स्रोतों से आयात की मात्रा के रूप में परिभाषित किया है। विचाराधीन उत्पाद की मांग निम्नानुसार है।

विवरण	**इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**जांच की अवधि**
चीन जन.गण. से आयात	एमटी	7,228	5,569	4,022	2,045
स्विट्जरलैंड से आयात	एमटी	174	0	600	1,220
अन्य देशों से आयात	एमटी	613	112	0	0
घरेलू उद्योग की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	76	90	100
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	581	760	954
मांग/खपत	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	86	87	85

65. यह देखा गया है कि संबद्ध सामानों की मांग 22-23 में कम हो गई है और 23-24 और जांच की अवधि में काफी हद तक समान रही है। क्षति की अवधि में मांग में 15% की गिरावट आई है। हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है कि मांग आधार वर्ष में काफी अधिक थी, जिसका प्रभाव कोविड अवधि पर पड़ा क्योंकि उत्पाद का उपयोग दवा क्षेत्र में भी किया जाता है।

ख. पूर्ण और सापेक्षिक रूप से आयात

66. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करने की आवश्यकता है कि क्या पाटित आयातें में, या तो पूर्ण रूप से या भारत में उत्पादन या खपत के संबंध में, काफी वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम से प्राप्त लेनदेन-वार आंकड़े पर भरोसा किया है। क्षति अवधि और जांच की अवधि में पूर्ण रूप से और सापेक्षिक रूप से आयात की मात्रा की सूचना निम्नानुसार है।

विवरण	**इकाई**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**जांच की**

					अवधि
चीन जन.गण. से आयात	एमटी	7,228	5,569	4,022	2,045
स्विट्जरलैंड से आयात	एमटी	174	0	600	1,220
अन्य देशों से आयात	एमटी	613	112	0	0
कुल आयात	एमटी	8,015	5,681	4,622	3,265
भारतीय उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	90	108	123
भारतीय उत्पादन के संबंध में संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	85	52	23
भारतीय खपत	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	86	87	85
भारतीय खपत के संबंध में संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	89	63	33
कुल आयात के संबंध में संबद्ध आयात	एमटी	90%	98%	87%	63%

67. यह देखा जाता है कि 2021-22 में संबद्ध देश से आयातों की मात्रा बहुत उच्च स्तर पर थी और उसके बाद से इसमें गिरावट आई है। जबकि सापेक्षिक रूप से संबद्ध आयातों में गिरावट आई है, फिर भी यह काफी बना हुआ है। स्विट्जरलैंड से आयात में वृद्धि हुई है और यह एक समानांतर पाटनरोधी जांच के अधीन है।

ज.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

68. नियमावली के अनुबंध II(ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे विचार करकें कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है या क्या उन आयातों का प्रंभाव काफी मात्रा तक कीमतों का अन्यथा ह्रास करना है या कीमत वृद्धि रोकना है, जो अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती।

क. कीमत कटौती

69. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयात बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं या नहीं, कीमत कटौती क्षति की अवधि में संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत से घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली की तुलना करके निर्धारित की गई है। आयात के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की कीमतों का विश्लेषण निम्नानुसार है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
आयतों का पहुंच मूल्य	भारतीय रु./एमटी	1,88,545	1,45,317	1,12,116	1,05,158
निवल बिक्री प्राप्ति	भारतीय रु./एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	75	65	60
कीमत कटौती	भारतीय रु./एमटी	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
	% रेंज	0-10%	0-10%	10-20%	10-20%

70. यह देखा जाता है कि पूरी क्षति अवधि में आयात का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली से कम है। कीमत कटौती लगातार सकारात्मक रही है।

71. घरेलू उद्योग द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि अग्रिम प्राधिकार योजना के तहत संबद्ध आयात की एक महत्वपूर्ण मात्रा देश में प्रवेश कर रही है जहां कोई पाटनरोधी शुल्क या मूल सीमा शुल्क देय नहीं है। निर्यातक ने तर्क दिया है कि चूंकि अग्रिम लाइसेंस योजना के तहत शुल्क लागू नहीं हैं, इसलिए यदि शुल्क जारी रहता है, तो भी घरेलू उद्योग को इसका लाभ नहीं मिलेगा। प्राधिकारी इस संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोधों को नोट करते हैं कि शुल्क छूट योजनाओं के तहत आयात का घरेलू बाजार में कीमतों को निर्धारण करने का प्रभाव पड़ता है। यह भी अनुरोध किया गया है कि जांच की अवधि दौरान जिस कीमत पर शुल्क-मुक्त आयात किए जाते हैं, जो घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं, वे उस कीमत को दर्शाते हैं जिस पर पाटनरोधी शुल्क बंद किए जाने की स्थिति में सामानों का आयात किए जाने की संभावना है।

ख. कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण

72. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों को कम कर रहे हैं और क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों का काफी हद तक न्यूनीकरण करना है या कीमतों में वृद्धि को रोकना है, जो अन्यथा सामान्य क्रम में हुई होती, क्षति की अवधि में लागत और कीमतों में परिवर्तन की तुलना नीचे दी गई है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
उत्पादन लागत	भारतीय रु./ एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	85	74	68
निवल बिक्री प्राप्ति	भारतीय रु./ एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	75	65	60
आयातों का पहुंच मूल्य	भारतीय रु./ एमटी	1,88,545	1,45,317	1,12,116	1,05,158
	सूचीबद्ध	100	77	59	56

73. यह देखा जाता है कि पूरी क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत में गिरावट आई है। निर्यातक ने तर्क दिया कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत लागत के अनुरूप चली है। यह देखा जाता है कि क्षति की अवधि में लागत में 32% की गिरावट आई है, जबकि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में 40% की गिरावट आई है। तथापि, संबद्ध आयात के पहुंच मूल्य में गिरावट घरेलू उद्योग की लागत और कीमत में गिरावट दोनों की तुलना में काफी अधिक रही है। क्षति की अवधि में संबद्ध आयात के पहुंच मूल्य में 44% तक गिरावट आई। आयात की पहुंच कीमत 2022-23 के बाद से लागत के स्तर से नीचे गिर गई, जिससे घरेलू उद्योग को भी अपनी बिक्री कीमत को काफी कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, यह दर्शाता है कि बिक्री कीमत में आयातों की पहुंच कीमत के संचलन को अपनाया हे।

74. आयात कीमत में गिरावट के संबंध में, निर्यातक ने अनुरोध किया कि कोविड-19 के बाद मांग में कमी के कारण ऐसी गिरावट एक वैश्विक घटना थी। तथापि, यह देखा जाता है कि आयातों के पहुंच मूल्य में वर्ष-दर-वर्ष गिरावट दर्ज की है। आधार वर्ष के बाद से न केवल पहुंच मूल्य में गिरावट आई है, बल्कि 22-23 की तुलना में भी

इसमें 28% की गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि बिक्री की मात्रा को बनाए रखने के लिए लागत में गिरावट से परे अपनी बिक्री कीमत को कम करने के लिए मजबूर किया गया था। यह अनुरोध किया गया है कि 2022-23 से आयातों की पहुंच कीमत बिक्री कीमत और बिक्री की लागत के कम रहने के कारण, घरेलू कीमतों पर नीचे की ओर दबाव डाला गया था। घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमत कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्राधिकारी का मानना है कि आयात का घरेलू उद्योग की कीमतों पर न्यूनीकरण एवं ह्रासमान प्रभाव पड़ा है।

ज.3.3 <u>घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर परिणामी प्रभाव</u>

75. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच में क्षति के निर्धारण में शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों का वस्तुपरक एवं निष्पक्ष मूल्यांकन और बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तद्नुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों पर यहां नीचे विचार किया गया है।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री

76. क्षति की अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री की सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
संस्थापित क्षमता	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	100	100	100

कुल उत्पादन (पीयूसी + एनपीयूसी)	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	81	86	112
क्षमता उपयोग (पीयूसी + एनपीयूसी)	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	81	86	112
पीयूसी का उत्पादन	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	64	71	77
घरेलू बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	76	90	100
निर्यात बिक्री	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	51	26	26

77. यह देखा जाता है कि क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता समान रही है। हालांकि, घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध सामानों के उत्पादन की मात्रा में क्षति की अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा 22-23 में घट गई और उसके बाद बढ़ गई। तथापि, यह देखा जाता है कि बिक्री मात्रा में वृद्धि 23-24 में हानियां उठाकर लागत पर हासिल की गई थी और जांच की अवधि में नगण्य लाभ अर्जित हो रहा था।

78. यह तर्क दिया गया है कि जबकि क्षमता समान रही और जांच की अवधि में उपयोग में वृद्धि हुई, तथापि उत्पादन मात्रा में गिरावट आई है। इस संबंध में, यह देखा जाता है कि आवेदक ने संबद्ध और गैर-संबद्ध सामानों के लिए संयुक्त क्षमता की सूचना दी है। तदनुसार, इसने संयुक्त उत्पादन मात्रा और तदनरूपी क्षमता उपयोग की भी सूचना दी जो वही प्रवृत्ति दर्शाती है। तथापि, संबद्ध सामानों के उत्पादन संबंधी सूचना ने घरेलू बिक्री के लिए सूचित संचलन को अपनाया और जांच की अवधि में कुछ वृद्धि के साथ क्षति की अवधि में गिरावट आई है।

ख. मांग में बाजार हिस्सा

79. संपूर्ण क्षति अवधि में संबद्ध आयात और घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी निम्नानुसार थी:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	89	103	118
अन्य भारतीय उत्पादक	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	676	875	1,127
संबद्ध आयात	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	90	64	33
स्विट्जरलैंड से आयात	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	0	397	828
अन्य देशों से आयात	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	21	0	0

80. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी 2022-23 में घट गई और उसके बाद बढ़ गई। जुबिलेंट के आधार वर्ष में उत्पादन शुरू करने से भारतीय भारतीय उद्योग की बाजार हिस्सा भी समग्र रूप से बढ़ गया है। यद्यपि संबद्ध देश से आयातों में गिरावट आई है, तथापि यह बाजार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

ग. लाभप्रदता, नकद लाभ, और नियोजित पूंजी पर आय

81. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के लाभ, लाभप्रदता, नकद लाभ, कर पूर्व लाभ (पीबीआईटी), और निवेश पर आय का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है:

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
आयातों का पहुंच मूल्य	भारतीय रु./एमटी	1,88,545	1,45,317	1,12,116	1,05,158
उत्पादन लागत	भारतीय रु./एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	85	74	68

निवल बिक्री प्राप्ति	भारतीय रु./एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	75	65	60
कर पूर्व लाभ	भारतीय रु./एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	2	-5	2
कर पूर्व लाभ	भारतीय रु. लाख में	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	1	-5	2
नकद लाभ	भारतीय रु./एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	24	17	20
नकद लाभ	भारतीय रु. लाख में	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	18	15	20
नियोजित पूजी पर आय	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	5	3	8

82. यह देखा जाता है कि जैसे-जैसे आयात के पहुंच मूल्य में गिरावट आई, घरेलू उद्योग के लाभ में भी गिरावट आई। इसके अतिरिक्त, चूंकि आयातों के पहुंच मूल्य में लागत से भी कम स्तर तक गिरावट आई, घरेलू उद्योग अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर था। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को 2023-2024 में हानियां हुई और जांच की अवधि में नगण्य लाभ अर्जित हुआ। घरेलू उद्योग का नकद लाभ और निवेश पर आय 23-24 तक कम हो गई और जांच की अवधि में बढ़ गई। तथापि, लाभप्रदता के संदर्भ में घरेलू उद्योग का निष्पादन जांच की अवधि में प्रतिकूल रहा। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग का आरओसीई केवल ***% था।

83. निर्यातक ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग के लाभ को 23-24 को छोड़कर कोई हानियां नहीं हुई है, और जांच की अवधि में इसके लाभ में काफी वृद्धि हुई। यद्यपि घरेलू उद्योग की क्षति की सूचना का अगोपनीय रूपांतर जांच की अवधि में लाभ में काफी वृद्धि को दर्शा सकता है, गोपनीय आंकड़ों से यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के लाभ ने जांच की अवधि में खर्च की गई लागत का ***% से भी कम दर्शाया है।

84. यह भी तर्क दिया गया है कि आधार वर्ष में लाभ पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि कोविड के दौरान असाधारण लाभ अर्जित किया गया था। यह देखा जाता है कि आधार वर्ष में आयात का पहुंच मूल्य उत्पादन लागत से बहुत अधिक था। इसी तरह, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत लागत से अधिक थी, और यह लाभ अर्जित कर रहा था। तथापि, बाज़ार में जुबिलेंट के प्रवेश से, आयातों के पहुंच मूल्य में एक तेज और सतत गिरावट आई। चूंकि पहुंच मूल्य लागत से कम गिर गया, अत: आवेदक की बिक्री कीमत भी गिरावट आई।

घ. मालसूची

85. क्षति की अवधि और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची स्थिति से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। यह देखा जाता है कि क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के पास मालसूची का औसत स्तर काफी बढ़ गया है। यद्यपि 23-24 और जांच की अवधि में मांग काफी हद तक समान थी, फिर भी, घरेलू उद्योग में माल सूची का स्तर 84% बढ़ गया। यह तर्क दिया गया है कि मालसूची में वृद्धि निर्यात बिक्री में कमी के कारण हुई है। तथापि, यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की निर्यात मात्रा काफी हद तक समान होने के बावजूद, पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में मालूसची का स्तर काफी बढ़ गया है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने इस संबंध में यह अनुरोध किया है कि यह निर्यातोन्मुख नहीं है और इसीलिए, उसका निष्पादन निर्यात से वास्तविक रूप से प्रभावित नहीं है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की

					अवधि
आरंभिक मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	1275	850	1854
अंतिम मालसचूची	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	67	66	97
औसत मालसूची	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	155	123	225

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

86. घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में स्थिति इस प्रकार है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि कर्मचारियों की संख्या आधार वर्ष से 2023-24 में कम हो गई और जांच की अवधि में बढ़ गई। परिणामस्वरूप, पदम्म वेतन और मजदूरी भी जांच की अवधि में बढ़ गई। घरेलू उद्योग का उत्पादकता स्तर बढ़ गया है।

विवरण	इकाई	2021-22	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	82	75	90
वेतन एवं मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	75	89	104
प्रति दिन उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	64	71	77
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	एमटी	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	78	96	85

च. वृद्धि

87. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के कीमत मापदंडों ने क्षति की अवधि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई है।

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	जांच की अवधि
उत्पादन (एमटी)	%	-36%	11%	7%
घरेलू बिक्री (एमटी)	%	-24%	18%	11%
औसत मालसूची (एमटी)	%	55%	-21%	84%
पीबीटी (रु./एमटी)	%	-98%	-394%	-144%
नकद लाभ (रु./एमटी)	%	-76%	-31%	22%
आरओसीई	%	-19%	0%	1%

छ. पाटन मार्जिन की मात्रा

88. यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से पाटित मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है, बल्कि काफी भी है। प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का निरंतर पाटन हो रहा है।

ज.3.4 क्षति संबंधी निष्कर्ष

89. उपर्युक्त कारकों की जांच के आधार पर, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष निकालने का प्रस्ताव करते है:

क. क्षति की अवधि में संबद्ध सामानों की मांग में गिरावट आई है, लेकिन पिछली जांच में काफी हद तक मांग के समान बनी हुई है।

ख. क्षति की अवधि में संबद्ध आयातों की मात्रा में गिरावट आई है, लेकिन पिछली जांच के बाद से इसमें वृद्धि हुई है। संबद्ध आयात पूर्ण दृष्टि से तथा भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में काफी हैं।

ग. आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमत पर आ रहे हैं और घरेलू कीमतों की कटौती कर रहे हैं।

घ. आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से भी कम है।

ड. आयात के पहुंच मूल्य में गिरावट लागत में गिरावट से भी अधिक थी और घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर किया। संबद्ध आयात घरेलू कीमतों का ह्रास कर रहे हैं।

च. बाज़ार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आयात का है। पिछली जांच के बाद से आयात की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है।

छ. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की कीमत पर बढ़ी।

ज. क्षति की अवधि में आयात के पहुंच मूल्य में गिरावट से, घरेलू उद्योग के लाभ में भी गिरावट आई है।

झ. घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर आय जांच की अवधि में लगभग नगण्य है।

ञ. घरेलू उद्योग के पास मालसूची का स्तर क्षति की अवधि में काफी बढ़ा है।

ट. घरेलू उद्योग में कीमत मापदंडों में नकारात्मक वृद्धि और मात्रा मापदंडों के संदर्भ में प्रतिकूल वृद्धि हुई है।

ठ. चीन से भारत में संबद्ध सामानों का लगातार पाटन हो रहा है। पाटन मार्जिन न्यूनतम से अधिक और काफी है। घरेलू उद्योग को निरंतर वास्तविक क्षति हो रही है।

झ. <u>गैर-आरोपण विश्लेषण (अन्य कारक)</u>

90. प्राधिकारी ने जांच की कि क्या पाटनरोधी नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य कारकों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। प्राधिकारी ने पाटित को छोड़कर अन्य ज्ञात कारकों की जांच की और पता लगाया कि क्या ये एक ही समय में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं, ताकि अन्य के कारण होने वाला नुकसान, यदि कोई हो, पाटित आयात के लिए जिम्मेदार न हो। इस संबंध में संगत कारकों में, अन्य बातों के अलावा, पाटित कीमतों पर न बेची गई संबद्ध सामानों की मात्रा, मांग में संकुचन या खपत के पैटर्न में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन और घरेलू उद्योग की उत्पादकता शामिल हैं।

क. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और कीमत

91. निर्यातक ने तर्क दिया है कि स्विट्जरलैंड से आयात में वृद्धि हुई है जो पाटन का इरादा दर्शाती है। यह देखा जाता है कि चीन जन.गण. के अलावा, स्विट्जरलैंड से आयात देश में आए हैं। क्षति अवधि में स्विट्जरलैंड से आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। इस तरह के आयात संबद्ध सामानों के कुल आयात का 37% है। यद्यपि पिछली जांचों में भी स्विट्जरलैंड से आयात हुएं है, तथापि उन आयातों की कीमत वर्तमान अवधि में काफी कम हुई है। पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए आवेदक द्वारा दायर आवेदन-पत्र के आधार पर, प्राधिकारी स्विट्जरलैंड से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में एक समानांतर जांच कर रहे है।

92. निर्यातक ने अनुरोध किया है कि स्विस आयात पाटन के इरादे को दर्शाता है। प्राधिकारी इस संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तर्क को नोट करते हैं कि यदि स्विट्जरलैंड से आयात पाटन के इरादे का संकेत देता है, चीन जन.गण. से आयात कीमत को देखते हुए स्विट्जरलैंड से आयात कीमत से भी कम है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन जन.गण. से पाटित आयात देश में प्रवेश कर रहे है।

93. प्राधिकारी का मानते है कि किसी अन्य देश से पाटन की मौजूदगी चीन जन.गण. से निरंतर पाटन को नहीं नकारता।

ख. मांग में सुकुचन

94. यह देखा जाता है कि क्षति अवधि में मांग में गिरावट आई है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि कोविड से संबंधित कारकों के कारण आधार वर्ष में मांग अधिक थी। यह देखा गया है कि आधार वर्ष में मांग कोविड-प्रभावित अवधि के कारण असाधारण रूप से अधिक थी, लेकिन बाद में यह उन स्तरों पर स्थिर हो गई जो घरेलू उद्योग के लिए उचित क्षमता उपयोग प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थे।

ग. अन्य उत्पादकों का निष्पादन

95. जुबिलेंट ने आधार वर्ष में बाजार में प्रवेश किया और आवेदक का समर्थन किया और शुल्क जारी रखने का अनुरोध किया। जुबिलेंट ने अपने समर्थन पत्र के माध्यम से कहा कि लागू पाटनरोधी उपायों ने उसे बाजार में निवेश करने और घरेलू उत्पादन शुरू करने का विश्वास प्रदान किया। यद्यपि जुबिलेंट की क्षति की सूचना

एक समर्थन पत्र के माध्यम से रिकॉर्ड पर रखी गई थी, प्राधिकारी ने भी उत्पादक को उसके निष्पादन और ऐसी सूचना को सत्यापित करने के लिए कुछ बैकअप दस्तावेजों पर सूचना मांगी थी। जुबिलेंट की क्षति की सूचना से यह देखा जाता है कि उत्पादक भी काफी हानियों पर भी बिक्री कर रहा है। यह देखा जाता है कि इसकी मात्रा बढ़ गई है क्योंकि यह एक नया उत्पादक है जो लागत से काफी कम कीमतों पर बिक्री कर रहा है। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि यहां तक कि जुबिलेंट भी पाटित आयात के अंतर-प्रवाह के कारण संघर्ष कर रहा है।

घ. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

96. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए खपत के पैटर्न में कोई परिवर्तन नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

ङ. प्रतिस्पर्धा की शर्तें और व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां

97. यह देखा जाता है कि प्रतिस्पर्धा की स्थिति या किसी भी व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियों का कोई प्रमाण नहीं है जो घरेलू उद्योग को दावा की गई क्षति के लिए जिम्मेदार हो।

च. प्रौद्योगिकी में विकास

98. घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाली प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के बारे में किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है।

छ. घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

99. निर्यातक ने उल्लेख किया है कि लाभ में कोई भी हानि या गिरावट निर्यात बिक्री में गिरावट के कारण है। तथापि, आवेदक ने उल्लेख किया है कि यद्यपि उसका निर्यात निष्पादन ऐतिहासिक रूप से देखने पर आधार वर्ष में पर्याप्त रूप से अधिक था। तथापि, उसकी निर्यात मात्रा व्यापक रूप से स्थिर रही है। किसी भी दशा में, यह देखा जाता है कि ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी सूचना आवश्यक और उचित सीमा तक उसके घरेलू बाजार के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन से ही संबंधित है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन से घरेलू उद्योग का बिक्री निष्पादन प्रभावित नहीं हुआ है।

ज. अन्य उत्पादों का निष्पादन

100. घरेलू उद्योग ने समान वस्तु के लिए क्षति के आंकड़े प्रदान किए हैं और प्राधिकारी द्वारा क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से उन्हें अपनाया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों के निष्पादन पर विचार नहीं किया गया है। अतः, उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं है।

ञ. <u>पाटन और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध</u>

101. यद्यपि नियमावली के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुँचाई है, तथापि प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निम्नलिखित मापदंड यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है:

क) संबद्ध देश से आयात, घरेलू उद्योग की लागत और कीमत से कम पर मूल्यांकित हैं। परिणामस्वरूप, संबद्ध आयातों की मात्रा बाजार में भारी स्तर पर बनी रही है।

ख) आयातों द्वारा घरेलू लागत एवं कीमत को कमतर करने के कारण, घरेलू उद्योग के कीमत ह्रास एवं कीमत न्यूनीकरण हुआ है।

ग) भारी कीमत-कटौती ने घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान लागत से मात्र थोड़ा अधिक कीमत पर बिक्री करने के लिए बाध्य किया है।

घ) पाटित आयात तथा उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की कीमत पर पड़े प्रभाव ने घरेलू उद्योग की लाभप्रदता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।

ङ) संबद्ध आयात बाजार में काफी अधिक हिस्सेदारी रखते हैं। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने से रोका गया है।

च) संबद्ध देश से निरंतर पाटन के कारण घरेलू उद्योग की वृद्धि प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है।

102. अतः प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि संबद्ध वस्तुओं की पाटन तथा घरेलू उद्योग को हुई निरंतर क्षति के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है।

<u>ट. क्षति मार्जिन की मात्रा</u>

103. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की क्षतिरहित कीमत जांच अवधि के दौरान उत्पादन लागत से संबधित उपलब्ध सूचना/आंकड़ों को अपनाते हुए निर्धारित की गई है। क्षति मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देशों से आयातित वस्तुओं की पंहुच कीमत की तुलना के लिए इस क्षतिरहित कीमत को आधार बनाया गया है। क्षतिरहित कीमत के निर्धारण हेतु, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग को ध्यान में रखा गया है। इसी प्रकार सुविधाओं के संबंध में भी समान पद्धति अपनाई गई है। क्षति अवधि के दौरान उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग को भी विचार में लिया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण या गैर-आवर्ती व्यय शामिल न किया गया हो। नियमावली के अनुबंध-III में विहित प्रावधानों के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद के लिए औसत नियोजित पूंजी (अर्थात् औसत निवल स्थिर परिसंपत्तियाँ + औसत कार्यशील पूंजी) पर (कर-पूर्व 22% की दर से) की युक्तिसंगत आय को कर-पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई है, ताकि क्षतिरहित कीमत निर्धारित की जा सके।

104. उपर्युक्त रूप से निर्धारित पंहुच कीमत तथा क्षतिरहित कीमत के आधार पर, प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति मार्जिन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

क्षति मार्जिन तालिका

उत्पादक	क्षतिरहित कीमत (अम डा./मी टन)	आयातों का पहुंच मूल्य (अम डा./मी टन)	क्षति मार्जिन (अम डा./मी टन)	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज)
नानटोंग एसेटिक एसिड कैमिकल कं. लि.	***	***	***	***	10-20
अन्य	***	***	***	***	20-30

ठ. <u>पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना</u>

ठ.1. <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

105. संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:

क. यदि पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाता है, तो घरेलू उद्योग को क्षति होने की कोई संभावना नहीं है।

ख. आवेदक ने व्यापार सूचना 03/2021 का पालन नहीं किया है और अतिरिक्त क्षमता का उल्लेख वर्षवार न करके केवल समग्र आधार पर किया है। निर्यात अभिमुखता संबंधी तालिका में भी गिरावट दर्शाई गई है।

ग. प्राधिकारी से अनुरोध है कि संभावना निर्धारण हेतु भारत में पर्याप्त मात्रा में निर्यात करने वाले तथा एकमात्र प्रतिवादी निर्यातक नानटोंग के आंकड़ों पर विचार किया जाए।

घ. नानटोंग की क्षमता स्थिर रही है। उसके पास विस्तार की कोई योजना नहीं है। वह उच्च उपयोग स्तर पर कार्य कर रहा है। अतः निष्क्रिय उत्पादन को भारत में निर्यात हेतु निर्यात करने की कोई संभावना नहीं है।

ड़. नानटोंग पाटन में संलिप्त नहीं है। यदि उसका ऐसा उद्देश्य होता, तो वह अपना उत्पादन का रुख भारत की ओर कर देता। वर्तमान निर्यात इस कारण है कि आवेदक भारतीय मांग की पूरी तरह से पूर्ति करने में सक्षम नहीं है।

च. नानटोंग का तीसरे देशों को निर्यात एवं मालसूची भी न्यूनतम है। उसके पास भारत अथवा किसी अन्य देश में पाटन करने हेतु अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध नहीं है।

छ. अधिशेष क्षमता का अस्तित्व मात्र संभावित पाटन को सिद्ध नहीं करता। साथ ही, आवेदक ने चीन में अधिशेष क्षमता के अस्तित्व को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया है। आवेदक ने अतिरिक्त क्षमता और क्षति की पुनरावृत्ति के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं किया है।

ज. संभावना निर्धारण में भावी घटनाओं का विश्लेषण शामिल होता है। प्राधिकारी घरेलू उद्योग को जांच अवधि के पश्चात के आकड़े प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दे सकते हैं ताकि संभावना का निर्धारण किया जा सके तथा हितबद्ध पक्षकारों को उस पर टिप्पणी करने हेतु उसकी प्रति प्रदान की जा सके।

झ. नानटोंग पूरे संबद्ध देश के लिए आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं है; उसका दायित्व केवल अपनी स्वयं की गतिविधियों तक सीमित सही एवं सटीक आंकड़े प्रस्तुत करने तक है।

ञ. प्राधिकारी याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत संबद्ध देश की कुल एवं निष्क्रिय क्षमता संबंधी आंकड़ों पर पूर्णतः भरोसा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि विश्वसनीयता हेतु सत्यापन योग्य स्रोत आवश्यक है।

ट. संयुक्त राज्य अमरीका - जापान से जंगरोधी कार्बन स्टील फ्लैट उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा मामले में अपीलीय निकाय ने यह निर्णय दिया था कि यद्यपि देश-विशिष्ट संभावना निर्धारण करना सामान्य परिपाटी नहीं है, तथापि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 एवं 6 के अंतर्गत यह निषिद्ध भी नहीं है।

ठ. यह प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि पाटनरोधी करार निर्णायक समीक्षा जांच में कंपनी-विशिष्ट संभावना निर्धारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं करता।

ड. वर्तमान जांच में प्राधिकारी द्वारा कंपनी-विशिष्ट संभावना निर्धारण किया जाना उपयुक्त होगा, क्योंकि केवल एक उत्पादक/निर्यातक, अर्थात् नानटोंग, ने भाग लिया है तथा भारत को समस्त निर्यात उसी से संबद्ध है। कंपनी-विशिष्ट संभावना निर्धारण का निर्णय अभिलाषा टैक्स कैम प्रा. लि. और अन्य बनाम भारत संघ/निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सेस्टेट द्वारा समर्थित किया गया था।

ढ. कोई कीमत आकर्षण नहीं है, क्योंकि तीसरे देशों को पीयूसी के कीमत बेहतर हैं। निर्यात मात्रा में गिरावट अस्थायी नहीं है। भारतीय बाजार लाभप्रद नहीं है।

ण. आवेदक ने एक स्थान पर कहा है कि भारत में निर्यातक की कीमत-प्राप्ति बेहतर है, जबकि अन्य स्थान पर उसे कम बताया है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि सभी अनुरोधों का सत्यापन किया जाए और साक्ष्य प्राप्त किए जाएँ।

त. प्रारंभिक शुल्क अधिरोपण से नानटोंग के व्यवसाय पर प्रभाव पड़ा, किंतु उसने धीरे-धीरे उस समस्या का समाधान किया। तथापि निर्यातक यह स्वीकार करता है कि शुल्क के जारी रहने से भारत को उसके निर्यात प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे।

थ. आवेदक ने उल्लेख किया है कि शुल्कों के कारण चीन की विदेशी बिक्री में कमी आई। इस कारण से शुल्क हटाये जाने चाहिए। शुल्क को जारी रखना निर्यातकों के लिए क्षतिकारी होगा तथा आवेदक को अनुचित एवं दीर्घकालिक संरक्षण प्रदान करेगा।

ठ.2. <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

106. संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध प्रस्तुत किए हैं:

क. पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी द्वारा स्थापित सभी संभावना संबंधी मानदंड वर्तमान जांच में भी वैध एवं लागू हैं।

ख. बढ़े हुए पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन से यह सिद्ध होता है कि संबद्ध देश से पाटन जारी है एवं उसमें वृद्धि हुई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि शुल्क समाप्त होने की स्थिति में पाटित एवं क्षतिकारी आयातों की मात्रा में वृद्धि की संभावना है, और शुल्क की अवधि बढ़ाना न्यायोचित है।

ग. ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो वर्तमान जांच अवधि में संबद्ध आयात मूल जांच की पीओआई की तुलना में 53% तथा पूर्व निर्णायक समीक्षा की पीओआई की तुलना में 29% बढ़े हैं।

घ. शुल्क लागू होने तथा एक नए घरेलू उत्पादक के प्रवेश के बावजूद, पिछली समीक्षा के बाद से चीन की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है, जो भारतीय मांग का काफी अधिक भाग रखती है, और पाटन जारी है।

ङ. वर्तमान में संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमत पर आ रहे हैं और यदि शुल्क जारी नहीं रखा गया तो घरेलू उद्योग को या तो अपनी बिक्री कीमत घटाकर भारी क्षति उठानी पड़ेगी अथवा बिक्री मात्रा और परिणामस्वरूप बाजार हिस्सेदारी गंवानी पड़ेगी।

च. विंज रिसर्च की बाजार रिपोर्ट "मिथाइल एसिटोएसिटेट मार्किट इन चाइना: निवेश व्यवहार्यता आकलन रिपोर्ट 2025-2030" के अनुसार चीन में अत्यधिक अधिशेष क्षमता है, जो भारत की कुल मांग से कहीं अधिक है।

छ. यदि चीन में समस्त घरेलू मांग घरेलू उत्पादन से पूरी भी कर ली जाए, तो भी परिणामी अतिरिक्त क्षमता भारत की कुल मांग का ***% होगी। अकेले प्रतिवादी निर्यातक के पास भारत की संपूर्ण मांग पूरी करने के लिए आवश्यक क्षमता से दोगुनी से अधिक क्षमता है।

ज. रिपोर्ट यह भी पुष्टि करती है कि शुल्कों ने चीन के कीमत लाभ को "काफी अधिक रूप से समाप्त" कर दिया है, जिससे भारत को उसके निर्यात की मात्रा पर गंभीर प्रभाव पड़ा है।

झ. भारत द्वारा लगाए गए शुल्कों का चीन के निर्यात पर प्रभाव यह संकेत देता है कि भारत ऐसे उत्पादकों के लिए एक प्रमुख बाजार है।

ञ. प्राधिकारी से अनुरोध है कि यदि शुल्क हटाए जाएँ तो भारत की ओर भेजे जा सकने वाले तीसरे देशों को पाटित एवं क्षतिकारी निर्यात की मात्रा की जांच की जाए।

ट. निर्यातक ने चीन के बाजार आंकड़ों के संबंध में जानकारी प्रदान करने के अपने दायित्व का पालन नहीं किया है, जबकि उक्त बाजार रिपोर्ट में यह उपलब्ध है।

ठ. वर्तमान क्षति संबंधी जानकारी पाटन के जारी रहने एवं तेज होने तथा वास्तविक क्षति की संभावना की पुष्टि करती है। आयात कीमत घरेलू बिक्री कीमत एवं लागत को कमतर कर रही है, जिससे घरेलू उद्योग को उनके अनुरूप कीमत निर्धारित करनी पड़ रही है और उसके निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यदि शुल्क समाप्त हो जाते हैं, तो आयातों की बाजार में भरमार हो जाएगी और घरेलू उद्योग को क्षति और अधिक बढ़ेगी।

ड. निर्यातकों के निष्पादन आंकड़ों से स्पष्ट है कि मौजूदा शुल्कों के बावजूद प्रतिवादी का भारत को निर्यात 2023 तक बढ़ा और तत्पश्चात घटा है। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि वर्तमान जांच में अनुकूल परिणाम प्राप्त करने हेतु यह गिरावट जानबूझकर की गई है। शुल्क समाप्त होने की स्थिति में निर्यातक द्वारा अपनी मात्रा पुनः भारतीय बाजार में भेज दिए जाने की पूरी-पूरी संभावना है।

ढ. निर्यातक के दावे परस्पर विरोधाभासी हैं। उसने बताया है कि शुल्कों ने भारत को उसके निर्यात की मात्रा को प्रभावित किया है, किंतु यह भी दावा करता है कि शुल्क हटाने से कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। यह विरोधाभास पाटन के जारी रहने की संभावना के विरुद्ध उसके तर्क की विश्वसनीयता को कम करता है।

ण. निर्यातकों को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि यदि शुल्क समाप्त हो जाते हैं तो पाटन जारी नहीं रहेगा अथवा तीव्र नहीं होगा।

ट.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जॉच</u>

107. वर्तमान जांच, चीन से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर लगाए गए शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के अंतर्गत, प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना आवश्यक है कि क्या वर्तमान शुल्क की समाप्ति से पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

108. प्राधिकारी ने धारा 9क(5), नियम 23 तथा नियमावली के अनुबंध-II (vii) के अंतर्गत वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मानकों और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकार्ड में

लाए गए अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना की जांच की है। चूँकि इस प्रकार के संभावना विश्लेषण हेतु कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है, अतः नियमावली के अनुबंध-II के खंड (vii) से मार्गदर्शन लिया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार करने का प्रावधान करता है:

क. भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की काफी अधिक दर, जो आयात में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना को दर्शाती हो।

ख. निर्यातक की पर्याप्त मुक्त रूप से उपलब्ध क्षमता, या क्षमता में आसन्न एवं भारी वृद्धि, जो भारतीय बाजारों में पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना को दर्शाती हो, साथ ही अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जो अतिरिक्त निर्यात की अपने यहाँ खपत कर सकें।

ग. क्या आयात ऐसे कीमत पर प्रवेश कर रहे हैं, जो घरेलू कीमतों पर काफी ह्रासकारी अथवा न्यूनकारी प्रभाव डालेगा और आगे और अधिक आयात की मांग को बढ़ा सकता है; तथा

घ. जांच की जा रही वस्तु की मालसूची की स्थिति।

109. प्राधिकारी ने, अन्य बातों के साथ-साथ, उपर्युक्त अपेक्षाओं तथा निम्नलिखित मानकों पर विचार किया है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन के जारी रहने की संभावना है और यदि हाँ, तो क्या शुल्क समाप्त होने की स्थिति में उससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकार्ड में प्रस्तुत सभी संगत सूचनाओं की जांच की है।

110. सर्वप्रथम, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्यातक ने तर्क दिया है कि आवेदक ने व्यापार सूचना 03/2021 का पालन नहीं किया। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि व्यापार सूचना 03/2021 के अनुसार आवेदक को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होती है: (क) क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद की क्षमता, (ख) संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा तीसरे देशों को किए गए निर्यात की मात्रा एवं कीमत, (ग) संबद्ध देश के निर्यातकों की निर्यात अभिमुखता, तथा (घ) यह औचित्य कि शुल्क हटाए जाने की स्थिति में भारतीय बाजार निर्यात का संभावित गंतव्य क्यों होगा।

111. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2024 से संबंधित बाजार रिपोर्ट के आधार पर संबद्ध देश में क्षमताओं की जानकारी प्रदान की है। तथापि, उक्त रिपोर्ट में चीन जनवादी गणराज्य से तीसरे देशों को किए गए निर्यात की मात्रा एवं कीमत संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं थी, अतः उस प्रयोजनार्थ उस पर भरोसा नहीं किया जा सका। घरेलू उद्योग ने आगे स्पष्ट किया है कि ऐसी जानकारी न तो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध थी और न ही वैश्विक व्यापार डेटाबेस के माध्यम से सुलभ थी, क्योंकि वे विचाराधीन उत्पाद के लिए 8-अंकीय स्तर पर जानकारी प्रदान नहीं करते। निर्यात अभिमुखता एवं भारतीय बाजार की लाभप्रदता के संबंध में भी घरेलू उद्योग ने बाजार रिपोर्ट पर ही भरोसा किया है।

112. इसके विपरीत, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि निर्यातक प्रश्नावली में विशेष रूप से संबद्ध देश में समग्र मांग, क्षमता, उत्पादन एवं निर्यात अभिमुखता संबंधी जानकारी मांगी गई थी, निर्यातक ने ऐसी जानकारी प्रस्तुत नहीं की। इसके स्थान पर निर्यातक ने यह कहा है कि वह पूरे संबद्ध देश के आंकड़े प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है तथा उसका दायित्व केवल अपनी स्वयं की गतिविधियों तक सीमित सही एवं सटीक जानकारी प्रस्तुत करने तक सीमित है।

113. उपर्युक्त के आलोक में, प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना संख्या 03/2021 के अंतर्गत अपने दायित्व का समुचित निर्वहन किया है। वर्तमान संभावना विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकार्ड में प्रस्तुत जानकारी पर विचार किया है। चूँकि निर्यातक ने केवल अपनी स्वयं की गतिविधियों तक सीमित जानकारी प्रस्तुत की है, अतः वर्तमान जॉच हेतु प्राधिकारी ने चीन जनवादी गणराज्य के अन्य उत्पादकों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर भरोसा किया है, साथ ही प्रतिवादी निर्यातक द्वारा अपनी गतिविधियों के संबंध में प्रस्तुत जानकारी पर विधिवत रुप से विचार किया है।

114. निर्यातक ने यह तर्क दिया है कि आवेदक ने भावी घटनाओं के विश्लेषण को सुगम बनाने हेतु जांच अवधि के पश्चात के आकड़े प्रस्तुत नहीं किये हैं। इस संबंध में सर्वप्रथम यह नोट किया जाता है कि व्यापार सूचना 03/2021 में यह प्रावधान है कि प्राधिकारी, जहाँ आवश्यक हो, जॉच की शुरूआत के पश्चात जांच अवधि के बाद के आकड़े मांग सकते हैं। अतः पीओआई के पश्चात के आकड़े मांगना अनिवार्य आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह प्राधिकारी के विवेकाधिकार का विषय है। वर्तमान मामले में, रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग करना आवश्यक नहीं समझा। पीओआई के आकड़े स्वयं स्पष्ट

रूप से दर्शाते हैं कि शुल्क लागू होने के बावजूद पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति जारी रही है।

क. संबद्ध देश से आयात

115. निम्नांकित तालिका संबद्ध देश से आयात के संबंध में जानकारी प्रदर्शित करती है।

वर्ष	**आयात मात्रा (एमटी)**	**मांग में हिस्सा (%)***
2010 - 11	1,428	39
2011 - 12	1,601	42
2012 - 13	2,095	48
पीओआई (वा.) - (अप्रैल'13-जून'14)	**1,579**	**39**
2016 - 17	402	5
2017 - 18	247	3
2018 - 19	2,991	28
पीओआई - (2019 - 20)	**1,868**	**15**
2021 - 22	7,228	100
2022 - 23	5,569	90
2023 - 24	4,022	64
पीओआई - (जन'24-दिस'24)	**2,045**	**33**

स्रोत: अधिसूचना संख्या 14/7/2014-डीजीएडी (2010-11) तथा 7/40/2020-डीजीटीआर (2019-20) द्वारा जारी अंतिम जॉच परिणाम; वर्तमान अंतिम जॉच परिणाम (वर्तमान क्षति अवधि हेतु)

**वर्तमान आईपी के लिए बाजार हिस्सेदारी संबंधी जानकारी सूचीबद्ध है।*

116. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से आयात की मात्रा वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में अत्यधिक उच्च स्तर पर थी तथा वर्तमान क्षति अवधि के दौरान इसमें गिरावट आई है। मांग भी उल्लेखनीय रूप से उच्च थी, जिस पर कोविड अवधि का प्रभाव रहा, क्योंकि उक्त उत्पाद का उपयोग औषधि क्षेत्र में भी किया जाता है। इसके पश्चात आयात में गिरावट आई है। तथापि, आयात की मात्रा अभी भी काफी अधिक बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने पर वर्तमान जांच अवधि में संबद्ध आयात मूल जांच तथा पिछली संपन्न समीक्षा जांच की तुलना में अधिक हैं। मूल शुल्क लगाए जाने के पश्चात संबद्ध आयातों में कमी आई थी और पिछली समीक्षा जांच की पीओआई में बाजार हिस्सेदारी 15% थी। तथापि, शुल्क लागू होने

तथा भारतीय उद्योग के पास पर्याप्त क्षमता उपलब्ध होने के बावजूद, वर्तमान जांच की पीओआई में संबद्ध देश से आयातों की बाजार हिस्सेदारी अब ***% है। यद्यपि निर्यातक ने तर्क दिया है कि निर्यात इस कारण हो रहे हैं कि आवेदक भारतीय मांग की पूरी तरह से पूर्ति करने में सक्षम नहीं है, यह नोट किया जाता है कि जुबिलेंट ने भी आधार वर्ष में अपनी क्षमता में वृद्धि की तथा पूर्ण रूप से बाजार में प्रवेश किया, जिससे मांग-आपूर्ति के किसी भी अंतर को समाप्त कर दिया गया। देश में अतिरिक्त क्षमता जोड़े जाने तथा शुल्क प्रभावी होने के बावजूद, पीओआई के दौरान आयात काफी अधिक स्तर पर बने रहे हैं।

ख. पाटित कीमत पर आयात का जारी रहना

117. वर्तमान जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन, पूर्ववर्ती जांचों में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मार्जिन से अधिक है। यह इस तथ्य को स्थापित करता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद निर्यातकों का व्यवहार पाटित कीमत पर निर्यात करने का बना हुआ है।

पाटन मार्जिन	**नानटोंग एसिटिक एसिड**	**अन्य उत्पादक**
मूल जॉच	25-45	40-50
पूर्ववर्ती जॉच	20-30	30-40
वर्तमान जॉच	30-40	40-50

ग. संबद्ध देश के निर्यातकों के पास भारी उत्पादन क्षमताएँ

118. घरेलू उद्योग ने चीन में संबद्ध वस्तु के बाजार के संबंध में विंज रिसर्च की रिपोर्ट "मिथाइल एसिटोएसिटेट मार्किट इन चाइना: निवेश व्यवहार्यता आकलन रिपोर्ट 2025-2030" से जानकारी प्रस्तुत की है। चीन के उत्पादकों के पास उपलब्ध क्षमताएँ अत्यंत विशाल हैं। उत्पादक-वार क्षमता का सारांश नीचे दी गई सारणी में प्रस्तुत है।

चीन के उत्पादन	**वार्षिक क्षमता (एमटी)**
क़िंगदाओ गल्फ़ फ़ाइन केमिकल कंपनी लिमिटेड	45,000
नानटोंग एसिटिक एसिड केमिकल कंपनी लिमिटेड	***
जियांग्सू तियानचेंग बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड	27,100

गुआंग्शी जिनयुआन बायोकेमिकल ग्रुप कंपनी लिमिटेड	10,000
अन्य	27,900
कुल क्षमता	***

स्रोत - विंज रिसर्च (अन्य उत्पादकों की क्षमता); नानटोंग परिशिष्ट-1 (नानटोंग की क्षमता)

119. यह देखा गया है कि चीन के उत्पादकों के पास उपलब्ध कुल क्षमता भारत की मांग से कहीं अधिक है। चीन की स्थापित क्षमता *** मीट्रिक टन है। इसके विपरीत, भारत में मांग *** मीट्रिक टन है, अर्थात् यह चीन के उत्पादकों की क्षमताओं का ***% से भी कम है।

120. निर्यातक द्वारा यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग ने चीन जनवादी गणराज्य में अधिशेष क्षमता के अस्तित्व को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया है तथा सत्यापन योग्य स्रोत के अभाव में ऐसे आंकड़ों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में निर्यातक ने यह भी आरोप लगाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा जिस रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है, उसमें दर्शाई गई नानटोंग की वार्षिक क्षमता त्रुटिपूर्ण है। जॉच करने पर यह पाया गया कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि नानटोंग की क्षमता 28,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जबकि नानटोंग ने स्वयं अपनी वास्तविक क्षमता *** मीट्रिक टन प्रति वर्ष बताई है। अतः यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि घरेलू उद्योग ने चीन जनवादी गणराज्य की क्षमताओं को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया है। सूचना के स्रोत की विश्वसनीयता के संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध बाजार रिपोर्ट को गोपनीय दस्तावेज़ के रूप में रिकार्ड में प्रस्तुत किया है। दूसरी ओर, किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उसमें निहित जानकारी का खंडन या अविश्वसनीय सिद्ध करने हेतु कोई प्रतिकूल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

घ. देश में मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता

121. बाजार अनुसंधान रिपोर्ट में चीन में प्रचलित क्षमता एवं मांग की जानकारी प्रदान की गई है। रिपोर्ट से प्राप्त क्षमता एवं मांग संबंधी जानकारी निम्नानुसार है:

विवरण	मात्रा (एमटी)
चीन की क्षमता	***
चीन में मांग	1,09,000
चीन में अधिशेष क्षमता	***

भारत में मांग	***

स्रोत - विंज रिसर्च (चीन में मांग और क्षमता);

नानटोंग परिशिष्ट-1 (नानटोंग की क्षमता)

122. यह देखा गया है कि चीन जनवादी गणराज्य में उपलब्ध क्षमताएँ वहाँ की घरेलू मांग से कहीं अधिक हैं। अधिशेष क्षमता स्वयं ही भारत की संपूर्ण मांग से तीन गुना से भी अधिक है।

123. भागीदार निर्यातक ने अनुरोध किया है कि उसके पास कोई मुक्त रूप से निपटान योग्य क्षमता नहीं है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रतिवादी निर्यातक चीन जनवादी गणराज्य में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक नहीं है। संबद्ध देश में पर्याप्त क्षमता मौजूद है, जो वहाँ की घरेलू मांग से उल्लेखनीय रूप से अधिक है। चीन जनवादी गणराज्य में अनेक अन्य उत्पादक/निर्यातक भी हैं जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है, तथा रिकार्ड में ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि ऐसे गैर-भागीदार उत्पादकों के पास मुक्त रूप से उपलब्ध क्षमता नहीं है। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य में मौजूदा अधिशेष क्षमता को अनदेखा नहीं किया जा सकता, जो शुल्क समाप्त होने की स्थिति में भारत की ओर निर्यात की जा सकती है।

ड़. उपायों के अभाव में कीमत-कटौती

124. शुल्कों की मौजूदगी के बावजूद, संबद्ध वस्तुएँ घरेलू कीमतों में कटौती कर रही हैं। यह नोट किया जाता है कि शुल्क समाप्त होने की स्थिति में कीमत-कटौती की सीमा में वृद्धि होने की संभावना है।

च. आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनसे घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास या न्यूनीकरण होने की संभावना है

125. संबद्ध वस्तुएँ न केवल घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम कीमत के स्तर पर हैं, बल्कि वे बिक्री लागत से भी कम पर हैं। जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत बिक्री लागत में आई गिरावट की तुलना में अधिक दर से कम हुई है। अतः घरेलू बाजार में कीमत ह्रास की स्थिति है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों के अभाव में ऐसा कीमत प्रभाव जारी रहने तथा और अधिक तीव्र होने की संभावना है।

छ. प्रतिवादी निर्यातक के उत्तर से प्राप्त जानकारी

126. जांच अवधि के दौरान, भारत में संबद्ध वस्तुओं के अधिकांश आयात प्रतिवादी निर्यातक द्वारा किए गए थे। निर्यातक द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उसके आंकड़ों का पृथक विश्लेषण यह दर्शाएगा कि पाटन का कारण नानटोंग नहीं है। तथापि, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, यह देखा गया है कि निर्यातक के लिए अनुमानित पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन सकारात्मक एवं काफी अधिक हैं।

127. पाटन एवं क्षति की संभावना की जांच के लिए निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर भी विचार किया गया है। यह देखा गया है कि निर्यातक ***% क्षमता उपयोग पर कार्य कर रहा है तथा मुख्यतः घरेलू बाजार में बिक्री कर रहा है। यद्यपि प्रतिवादी निर्यातक द्वारा भारत को किए गए निर्यात उसकी कुल बिक्री का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा हैं, तथापि ऐसे निर्यात महत्वपूर्ण हैं तथा भारतीय मांग का ***% हिस्सा बनते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत को निर्यात की मात्रा (*** मीट्रिक टन) विश्व स्तर पर विभिन्न देशों को किए गए कुल निर्यात (*** मीट्रिक टन) की संचयी मात्रा से अधिक है।

128. यह भी देखा गया है कि भारत निर्यातक की कुल निर्यात बिक्री का ***% हिस्सा है तथा तीसरे देशों को उसके निर्यात की मात्रा की तुलना में ***% अधिक है, जिससे यह संकेत मिलता है कि भारत एक पसंदीदा निर्यात गंतव्य है। यह स्थिति निर्यातक के इस स्वयं के कथन के बावजूद है कि भारत को बिक्री कम कीमत पर की गई तथा तीसरे देशों से बिक्री प्राप्ति बेहतर है।

129. प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि कीमत निर्धारण के संदर्भ में, निर्यातक भारत को अपने निर्यात पर अपने घरेलू बाजार की तुलना में बेहतर कीमत प्राप्त कर रहा है। यह दर्शाता है कि भारतीय बाजार घरेलू बिक्री की तुलना में अधिक लाभप्रद है तथा अतः निर्यातक के लिए कीमत की दृष्टि से आकर्षक गंतव्य बना हुआ है।

क्र सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**पीओआई**
1	बिक्री मात्रा	एमटी	***
	क) घरेलू बिक्री	एमटी	***

	ख) भारत को निर्यात	एमटी	***
	ग) तीसरे देशों को निर्यात	एमटी	***
2	कुल निर्यातों के संबंध में भारत को निर्यात	%	***
3	निम्न से बिक्री प्राप्ति:		
	क) घरेलू बिक्री	आरएमबी/ एमटी	***
	ख) भारत को निर्यात	आरएमबी/ एमटी	***
	ग) तीसरे देशों को निर्यात	आरएमबी/ एमटी	***

स्रोत: नानटोंग की ईक्यूआर

130. यह नोट किया जाता है कि भारत को किए गए निर्यात पाटित तथा क्षतिकारी कीमत पर हुए हैं। भारत को निर्यात की भारित औसत निर्यात कीमत सामान्य मूल्य से कम है तथा ऐसे निर्यातों की पंहुच कीमत क्षतिरहित कीमत से भी कम है। जैसा कि इस अंतिम जॉच परिणाम में ऊपर उल्लिखित है, पाटन मार्जिन एवं क्षति मार्जिन काफी अधिक हैं।

131. सौदा आधारित तीसरे देश के निर्यात के आंकड़ों से यह प्रदर्शित होता है कि भारत को निर्यात के अतिरिक्त, प्रतिवादी निर्यातक ने संबद्ध वस्तुओं का निर्यात जर्मनी, इज़राइल, इटली, जापान, कोरिया, स्पेन, ताइवान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को भी किया है। इन तीसरे देशों को कुल *** मीट्रिक टन मात्रा का निर्यात किया गया। तीसरे देशों में पाटन की जांच के प्रयोजनार्थ, निर्यातक द्वारा तीसरे देशों में संबद्ध वस्तुओं की बिक्री जिस कीमत पर की गई, उसकी तुलना ऊपर गणना किए गए सामान्य मूल्य से की गई है। इस प्रयोजनार्थ, विचार की गई निर्यात कीमत वह बीजक मूल्य है जो निर्यातक द्वारा सूचित किया गया है, तथा ऐसे निर्यातों के संबंध में संभावित व्ययों के लिए कोई समायोजन नहीं किया गया है। यह देखा गया है कि यद्यपि तीसरे देशों को भारित औसत निर्यात कीमत सामान्य मूल्य से कम है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि तीसरे देशों में भी पाटन हो रहा है। तीसरे देशों को किए गए कुल निर्यात में से *** मीट्रिक टन, अर्थात् ***% निर्यात, पाटित कीमतों पर किए गए थे। इसी प्रकार, निर्यातक के तीसरे देशों को किए गए निर्यात की निर्यात कीमतों की तुलना घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत से भी की गई है। इस प्रयोजनार्थ,

निर्यातक के तीसरे देश को निर्यात कीमत में अनुमानित 8.25% आयात शुल्क जोड़ा गया है। यह देखा गया है कि निर्यात मात्रा का ***% क्षतिकारी कीमतों पर निर्यात किया गया था।

विवरण	यूओएम	कुल	भारत	तीसरे देश
चीन से निर्यात	एमटी	***	***	***
निर्यात कीमत	अमडा./ एमटी	***	***	***
सीएनवी	अमडा./ एमटी	***	***	***
पाटन मार्जिन	अमडा./ एमटी	***	***	***
पाटन मार्जिन	%	***	***	***
पाटित कीमतों पर निर्यात	एमटी	***	***	***
कुल निर्यातों में पाटित मात्रा का हिस्सा	%	***	***	***
क्षतिरहित कीमत	अमडा./ एमटी	***	***	***
पंहुच कीमत	अमडा./ एमटी	***	***	***
क्षति मार्जिन	अमडा./ एमटी	***	***	***
क्षति मार्जिन	%	***	***	***
क्षतिकारी कीमतों पर निर्यात	एमटी	***	***	***
कुल निर्यातों में क्षतिकारी मात्रा का हिस्सा	%	***	***	***

132. यह भी देखा गया है कि भारत को निर्यात के संदर्भ में निर्यातक का पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन तीसरे देशों को निर्यात के लिए गणना किए गए मार्जिन से भी अधिक है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि भारतीय बाजार में चयनात्मक पाटन किया जा रहा है।

ज. घरेलू उद्योग की संवेदनशीलता

133. यह अनुरोध किया गया है कि भारतीय बाजार अत्यंत कीमत-संवेदनशील है, जहाँ उपभोक्ता मुख्यतः कीमत के आधार पर क्रय निर्णय लेते हैं। उपभोक्ता आयात कीमतों के आधार पर कीमत का मानक निर्धारित करते हैं। ऐसी स्थिति में, संबद्ध देश से

कम कीमत पर उपलब्ध आयातों की उपस्थिति का घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

134. वर्तमान में संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम कीमत पर आ रहे हैं, और यदि शुल्कों को जारी नहीं रखा गया, तो घरेलू उद्योग को या तो अपना बिक्री कीमत कम करनी पड़ेगी और भारी घाटे का सामना करना पड़ेगा, अथवा बिक्री मात्रा तथा परिणामस्वरूप बाजार हिस्सेदारी में कमी का सामना करना पड़ेगा। यदि बिक्री पंहुच कीमत पर की जाती है, तो घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच नीचे दी गई तालिका में की गई है।

विवरण	**यूनिट**	**पीओआई**	**पीओआई**
			पंहुच = बिक्री कीमत
बिक्री लागत	₹/एमटी	***	***
बिक्री कीमत	₹/एमटी	***	1,05,158
लाभ/हानि (पीबीटी)	₹/एमटी	***	***
लाभ/हानि (पीबीटी)	₹ लाख	***	***
पीबीआईटी	₹ लाख	***	***
नकद लाभ	₹ लाख	***	***
आरओआई	%	***	***

135. यह देखा गया है कि यदि घरेलू उद्योग को पाटित कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है तो उसे भारी घाटा उठाना पड़ेगा।

ड. भारतीय उद्योग का हित तथा अन्य मुद्दे

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

136. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दों के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

137. भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. पाटित आयातों से भारी क्षति हो रही है। पाटनरोधी शुल्कों का समय बढ़ाना एवं वृद्धि समान अवसर बनाए रखने, घरेलू उत्पादन की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने तथा आयात-निर्भरता को रोकने के लिए आवश्यक है।

ख. प्रारंभिक शुल्कों ने घरेलू उद्योग को घाटों से उबरने, लाभ अर्जित करने तथा समान अवसर प्राप्त करने में सहायता की, जिससे जुबिलेंट को निवेश कर बाजार में प्रवेश करने में सक्षम बनाया।

ग. घरेलू उद्योग दाहेज में एक नए संयंत्र में डाइकीटीन तथा एमएए उत्पादन के विस्तार हेतु ₹750 करोड़ का निवेश कर रहा है। यह विस्तार भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है; तथापि, यह पाटित आयातों से सीधे तौर पर प्रभावित हो सकता है।

घ. इन अतिरिक्त क्षमताओं की स्थापना के साथ, भारतीय उद्योग आगामी पाँच वर्षों में अनुमानित मांग को पूरा करने हेतु अधिशेष उत्पादन क्षमता के साथ सुदृढ़ स्थिति में हो जाएगा।

ङ. शुल्कों को हटाना इन निवेशों एवं विस्तार योजनाओं को जोखिम में डाल देगा, जिससे भारतीय उद्योग की वृद्धि बाधित होगी।

च. एमएए एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल मध्यवर्ती वस्तु है, जिसका उपयोग कृषि-रसायनों एवं अन्य क्षेत्रों में भी होता है। आवेदक के विश्लेषण के अनुसार, एपीआई उत्पादन में इसकी लागत का प्रभाव नगण्य है, जो 0% से 1% के बीच है। अतः अंतिम उत्पाद पर इसका प्रभाव अत्यंत सीमित है।

छ. वर्तमान अथवा पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा जांच में किसी आयातक या उपभोक्ता ने भाग नहीं लिया, जिससे यह संकेत मिलता है कि शुल्कों से कोई खास प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। प्राधिकारी ने पूर्व में भी यह नोट किया था कि विरोध के अभाव से यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता शुल्कों से वास्तविक रूप से प्रभावित नहीं हुए हैं।

ज. उपभोक्ताओं के हित में यह है कि बाजार में उचित कीमत पर उत्पाद उपलब्ध हों, जो ऐसे घरेलू उद्योग द्वारा समर्थित हों जो आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो।

<u>ङ.3 प्राधिकारी द्वारा जॉंच</u>

138. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्यतः व्यापार उपचारात्मक उपायों का उद्देश्य अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना तथा भारतीय

बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की पुनर्स्थापना करना है, जो देश के व्यापक हित में है। पाटनरोधी उपायों को लगाना/उन्हें जारी रखना किसी भी प्रकार से संबद्ध देश से आयातों को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से नहीं है। प्राधिकारी यह स्वीकार करते हैं कि शुल्कों को लगाना/उन्हें जारी रखना भारत में उत्पाद के कीमत स्तर को प्रभावित कर सकता है। तथापि, इन उपायों को लगाने/उन्हें जारी रखने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, ऐसे उपायों को लगाना/जारी रखना यह सुनिश्चित करेगा कि कोई अनुचित लाभ प्राप्त न हो, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट को रोका जा सके तथा संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्पों की उपलब्धता बनी रहे।

139. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए जॉच शुरूआत अधिसूचना जारी की। इसके अलावा प्राधिकारी ने, प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की, ताकि वे वर्तमान जांच के संबंध में संगत जानकारी, जिसमें पाटनरोधी शुल्कों का उनके प्रचालन पर संभावित प्रभाव भी शामिल है, प्रदान कर सकें। अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों के विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद के एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव आदि के संबंध में जानकारी मांगी गई।

140. प्राधिकारी ने इस समीक्षा जांच हेतु एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की थी, जिसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रेषित किया गया। केवल घरेलू उद्योग ने इस आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर दिया। वर्तमान जांच में किसी भी प्रयोक्ता या आयातक ने भाग नहीं लिया। इसके अलावा, भागीदार निर्यातक ने यह बताया कि आर्थिक हित प्रश्नावली उस पर लागू नहीं होती है।

141. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य पाटन जैसी अनुचित व्यापार प्रथाओं से घरेलू उद्योग को हुई क्षति का उपचार करना है, ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित हो सके। प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का जारी रहना भारत में उत्पाद के कीमत स्तर को प्रभावित कर सकता है। तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि इन उपायों के जारी रहने से भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का मूल स्वरूप प्रभावित नहीं होगा। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों के जारी रहने से पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग में संभावित गिरावट पर रोक लगेगी तथा उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्पों की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

142. सर्वप्रथम, यह देखा गया है कि एक नए उत्पादक, अर्थात् जुबिलेंट इनग्रेविआ, ने वर्तमान जांच के आधार वर्ष के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन हेतु क्षमता स्थापित की है। जुबिलेंट इनग्रेविआ ने अपने समर्थन पत्र में उल्लेख किया है कि शुल्कों ने उसे क्षमता स्थापित करने एवं उत्पादन प्रारंभ करने का आत्मविश्वास प्रदान किया। अतः देश में मांग-आपूर्ति में किसी भी अंतर को पाट दिया गया है। किसी भी स्थिति में, मांग-आपूर्ति अंतर पाटन को उचित नहीं ठहराता। यदि मांग घरेलू क्षमता से अधिक भी हो, तो भी आयात उचित कीमतों पर देश में प्रवेश कर सकते हैं।

143. घरेलू उद्योग ने डाउनस्ट्रीम फार्मा उद्योग की लागत पर संबद्ध वस्तुओं के प्रभाव का परिमाणीकरण किया है। यह देखा गया है कि डाउनस्ट्रीम उत्पादों के उत्पादन में संबद्ध वस्तुओं के कारण होने वाली लागत अत्यंत नगण्य है। घरेलू उद्योग ने यह भी कहा है कि डाउनस्ट्रीम एपीआई मुख्यतः लवण होते हैं, जिन्हें आगे डाउनस्ट्रीम उद्योगों द्वारा प्रसंस्कृत किया जाता है, जिससे पहले से ही न्यूनतम प्रभाव और भी कम हो जाता है। अतः शुल्कों का प्रभाव नगण्य है। इसके अतिरिक्त, न तो पूर्ववर्ती और न ही वर्तमान जांच में किसी आयातक या प्रयोक्ता ने भाग लिया है। यह तथ्य भी इस बात की पुष्टि करता है कि शुल्कों का डाउनस्ट्रीम उद्योग या प्रयोक्ताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

क्र सं.	विवरण	यूनिट	
1	एम्लोडिपाइन का पंहुच मूल्य (उच्च बीपी के उपचार में प्रयुक्त)	रु/किग्रा.	10,117
	एपीआई के एक किग्रा. में प्रयुक्त एमएए की मात्रा	किग्रा.	0.2994
	एमएए की लागत	(रु/एमटी)	***
	एमएए की लागत	(रु/किग्रा.)	***
	एपीआई के एक किग्रा. में एमएए इनपुट की लागत	रु/किग्रा.	***
	डाउनस्ट्रीम एपीआई में एमएए इनपुट का लागत घटक	% रेंज	0-1
2	क्लोक्सेसिलीन का पंहुच मूल्य (बैक्टिरियल संक्रमण के उपचार में प्रयुक्त)	रु/किग्रा.	4,409
	एपीआई के एक किग्रा. में प्रयुक्त एमएए की मात्रा	किग्रा.	0.3274
	एमएए की लागत	(रु./एमटी)	***
	एमएए की लागत	(रु/किग्रा.)	***
	एपीआई के एक किग्रा. में एमएए इनपुट की लागत	रु/किग्रा.	***
	डाउनस्ट्रीम एपीआई में एमएए इनपुट का लागत घटक	% रेंज	0-1

3	डोम्पेरिडोन का पंहुच मूल्य (मितली, उल्टी, अपच के उपचार में प्रयुक्त)	रु/किग्रा.	18,571
	एपीआई के एक किग्रा. में प्रयुक्त एमएए की मात्रा	किग्रा.	0.4595
	एमएए की लागत	(रु./एमटी)	***
	एमएए की लागत	(रु/किग्रा.)	***
	एपीआई के एक किग्रा. में एमएए इनपुट की लागत	रु/किग्रा.	***
	डाउनस्ट्रीम एपीआई में एमएए इनपुट का लागत घटक	% रेंज	0-1

144. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि शुल्कों के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए, घरेलू उद्योग द्वारा इस उत्पाद में भारी निवेश किया जा रहा है। तथापि, वर्तमान क्षति अवधि में घरेलू उद्योग इस उत्पाद से नगण्य लाभ अर्जित कर रहा है तथा भारी क्षति वहन कर रहा है। आवेदक कंपनी के समग्र निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जो किए गए निवेशों की व्यवहार्यता के लिए खतरा उत्पन्न करता है।

ढ़. प्रकटन पश्चात टिप्पणियाँ

ढ़.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

145. प्रकटन विवरण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गईं थीं:

क. चीन जन. गण. में अतिरिक्त क्षमता का आरोप लगाने के लिए केवल बाज़ार रिपोर्ट का नाम मात्र बताना पर्याप्त नहीं है। रिपोर्ट का अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराया जाना चाहिए था। निर्यातक पूरे संदर्भ के बिना रिपोर्ट से चुने गए अंशों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। प्राधिकारी को रिपोर्ट पर भरोसा करने से पूर्व उसकी प्रामाणिकता का सत्यापन करना चाहिए।

ख. 710 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश के संबंध में, निर्यातक को केवल एक सूचना पत्र प्राप्त हुआ है। बाद में कोई अनुमोदन पत्र यदि कोई हो, प्राप्त नहीं हुआ है।

ग. शुल्क 9 वर्षों से अधिक समय से लागू हैं। जुबिलेंट के बाज़ार में प्रवेश करने तथा स्विट्ज़रलैंड से आयात में उल्लेखनीय वृद्धि जैसे कारक, यदि कोई हो, तो क्षति या संभावित क्षति में वृद्धि का कारण हो सकते हैं।

घ. बाज़ार अर्थव्यवस्था व्यवहार के संबंध में, नैनटोंग एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है। यद्यपि 19% शेयरधारिता राज्य-स्वामित्व वाली संस्थाओं के पास है, इसका अर्थ यह नहीं है कि नैनटोंग राज्य द्वारा नियंत्रित या प्रभावित होती है। अधिकांश शेयरधारिता आम जनता के पास है।

ङ. प्राधिकारी द्वारा गणना किए गए मार्जिन, घरेलू उद्योग के दावों से कम हैं। क्षति मार्जिन मूल जांच में पूर्व निर्धारित मार्जिन से कम है। कमतर शुल्क नियम के अनुसार, शुल्क क्षति मार्जिन से अधिक नहीं हो सकता। लगाया जाने वाला कोई भी शुल्क इसी स्तर तक सीमित होना चाहिए।

च. यह अवलोकन कि आयात काफी अधिक हैं, सही नहीं है। मांग और आयात में क्रमशः 15% और 71% की कमी आई, परंतु घरेलू बिक्री आधार वर्ष के समान स्तर पर बनी रही है।

छ. नैनटोंग कीमत कटौती में शामिल नहीं है। कीमत कटौती की गणना करते समय प्राधिकारी ने आयात के पंहुच मूल्य में पाटनरोधी शुल्क को शामिल नहीं किया है। जब प्रचलित शुल्क जोड़ा जाएगा, तब आयातित और घरेलू वस्तुओं के बीच वास्तविक प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति परिलक्षित होगी।

ज. लागत में कमी के साथ बिक्री कीमत में कमी, विशेषकर जब जुबिलेंट ने बाज़ार में प्रवेश किया है, ग्राहकों को आकर्षित करने और बनाए रखने का अवसर हो सकती है, ।

झ. प्राधिकारी को विकृत लागत संरचना के कारण लाभप्रदता पर अपना विश्लेषण आधारित नहीं करना चाहिए। घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद कंपनी है और इस बात की कोई ठोस जानकारी या आधार उपलब्ध नहीं है कि उसकी लागत को विचाराधीन उत्पाद पर किस प्रकार आवंटित किया गया है।

ञ. आधार वर्ष में पंहुच मूल्य और घरेलू बिक्री कीमत कोविड-19 के कारण अधिक थे। उसके पश्चात आई कमी मात्र एक वैश्विक घटना है और एक-दूसरे पर निर्भर नहीं है।

ट. 2023-24 तथा जांच अवधि दोनों में निर्यात बिक्री अपने स्तर पर बनी रही। तथापि, घरेलू बिक्री और मालसूची में वृद्धि हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग आवश्यकता पड़ने पर उपयोग हेतु उचित मालसूची बनाए रखने का प्रयास कर रहा था। संभवतः उसने निर्यात बिक्री में वृद्धि की अपेक्षा भी की होगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप मालसूची में संचय हो गया।

ठ. स्विट्ज़रलैंड से आयात, निर्यात बिक्री में कमी, तथा कोविड-19 के पश्चात मांग में कमी ने संबद्ध आयात और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को समाप्त कर दिया। मांग में कमी के साथ उत्पादन जैसे अन्य मापदंडों पर प्रभाव पड़ा, तथापि घरेलू बिक्री में कमी नहीं आई। इसके अतिरिक्त, जुबिलेंट बाज़ार पर अच्छा नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम रहा।

ड. प्राधिकारी को चीन के लिए समग्र रूप से आँकड़े प्रस्तुत नहीं करने के लिए नैनटोंग के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। नैनटोंग पर व्यापक बाज़ार-स्तरीय आँकड़े प्रस्तुत करने का कोई दायित्व नहीं है। ऐसी जानकारी संकलित करना अनावश्यक रूप से बोझिल होगा। नैनटोंग केवल अपने स्वयं के संचालन से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।

ढ. घरेलू उद्योग का पूरा आरोप एक ही बाज़ार रिपोर्ट पर आधारित है। वह अस्पष्ट और निराधार तर्कों के आधार पर पाटन या उसकी संभावना का आरोप नहीं लगा सकता।

ण. आवेदक को पीओआई के पश्चात के आँकड़े प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए। ऐसी जानकारी के अभाव में प्राधिकारी को संभावना निर्धारित करने का परिहार करना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि थाई एक्रिलिक फाइबर कं. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी तथा डीजीटीआर के ट्रेड मैनुअल के पैरा 5.15 का संदर्भ अनदेखा कर दिया गया है।

त. संबद्ध आयात और उनके बाज़ार हिस्से की पूर्व जांच से तुलना करना गलत है, क्योंकि कानून ऐसी तुलना का प्रावधान नहीं करता है।

थ. आधार वर्ष महामारी से उत्पन्न पूर्वानुमेय परिस्थिति से अचानक प्रभावित हुआ था, अतः वह क्षति विश्लेषण को उचित ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सकता है।

द. नैनटोंग के संबंध में क्षति निर्धारण पूरे चीन से पृथक रूप से किया जाना चाहिए। उसके द्वारा प्रस्तुत आँकड़े घरेलू उद्योग की बाज़ार रिपोर्ट की तुलना में अधिक विश्वसनीय और साक्ष्यात्मक हैं। नैनटोंग के पास अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध नहीं है। केवल न्यूनतम निष्क्रिय क्षमता है, जो विपथन का आरोप लगाने के लिए अपर्याप्त है।

ध. नैनटोंग का घरेलू बिक्री कीमत भारत को उसके निर्यात कीमत से कम है, और भारत को निर्यात कीमत तीसरे देशों को निर्यात कीमत से भी कम है। अतः प्राधिकारी को यह निर्धारित करना चाहिए कि भारत कीमत की दृष्टि से आकर्षक नहीं है और तीसरे देशों को होने वाले निर्यात के भारत में भेजे जाने की कोई संभावना नहीं है। यदि

नैनटोंग कभी अपनी घरेलू बिक्री को भारतीय बाज़ार में स्थानांतरित करना चाहता, तो वह अब तक ऐसा कर चुका होता।

न. भारत को नैनटोंग के निर्यात में गिरावट कोई अस्थायी घटना नहीं है। भारत पर्याप्त लाभकारी नहीं है। अतः उसकी घरेलू बिक्री और तीसरे देशों को निर्यात में वृद्धि हुई है।

प. प्राधिकारी भारत और तीसरे देशों को निर्यात की तुलना के लिए स्रोत प्रदान करने में विफल रहे हैं। पूरी तालिका को गोपनीय चिह्नित कर दिया गया है, जिससे निर्यातक सार्थक टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने से वंचित रह गया है। अतः हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वह आँकड़ों के स्रोत तथा उनकी रेंज उपलब्ध कराएं।

फ. बिना समुचित समायोजन के तीसरे देशों के निर्यात कीमतों का मूल्यांकन कृत्रिम रूप से निर्यात कीमत को कम दर्शाता है और पाटन का भ्रामक आभास उत्पन्न करता है। यह दावा कि निर्यातक ने तीसरे देशों के बाज़ारों में पाटन किया, अथवा चयनात्मक रूप से भारत को लक्ष्य बनाया, त्रुटिपूर्ण है और प्रतिकूल निष्कर्ष का उचित आधार नहीं बन सकता है।

ब. प्राधिकारी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि यदि घरेलू उद्योग आयात के पंहुच मूल्य से समानता रखने का प्रयास करे, तो उसे पर्याप्त क्षति उठानी पड़ेगी। किंतु चूँकि घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद कंपनी है, अतः बढ़ी हुई लागत एक विकृत चित्र प्रस्तुत कर सकती है।

ढ.2 घरेलू उद्योग के विचार

146. प्रकटन विवरण के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियाँ प्रस्तुत की गईं थीं:

क. शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध आयात काफी अधिक मात्रा में और पाटित कीमतों पर भारतीय बाज़ार में प्रवेश करते रहे हैं। पाटन मार्जिन पूर्व जांचों में निर्धारित मार्जिन से अधिक है।

ख. चूँकि भारतीय बाज़ार अत्यंत कीमत-संवेदनशील है, यदि शुल्क समाप्त होने दिए गए तो पाटन में वृद्धि की संभावना है।

ग. पाटित संबद्ध आयात घरेलू उद्योग को निरंतर वास्तविक क्षति पहुँचा रहे हैं।

घ. संबद्ध आयात का पंहुच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम है, जिससे कीमत में कटौती करने के लिए बाध्य होना पड़ा है और परिणामस्वरूप नगण्य लाभ तथा नियोजित पूंजी पर नगण्य आय प्राप्त हुई है।

ङ. चीन के उत्पादकों के पास अत्यधिक अधिशेष क्षमता है, जो भारतीय मांग से कहीं अधिक है।

च. चूँकि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार है और चीन के घरेलू बाज़ार की तुलना में निर्यातकों को बेहतर मूल्य प्रदान करता है, अतः यदि शुल्क हटा दिए गए तो यह अधिशेष वस्तुएँ भारत में पाटित की जाने की संभावना है।

छ. भारत संबद्ध वस्तुओं के लिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मांग केंद्र है और वैश्विक स्तर पर चीन के उत्पादकों के लिए एक प्रमुख प्रतिस्पर्धी विनिर्माण उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है।

ज. निर्धारित मार्जिन यह संकेत देते हैं कि चीन द्वारा भारतीय बाज़ार को रणनीतिक रूप से लक्षित किया गया है ताकि भारतीय प्रतिस्पर्धा को विस्थापित किया जा सके। महत्वपूर्ण रूप से, जुबिलेंट इनग्रेविया के बाज़ार में प्रवेश के पश्चात भारत में पाटन में तीव्रता आई।

झ. चीन के उत्पादकों के पास भारतीय बाज़ार को लक्षित करने हेतु स्पष्ट वाणिज्यिक प्रोत्साहन है, जहाँ वे चयनात्मक रूप से पाटित कीमतों का प्रस्ताव करके चीन जन. गण. के बाहर स्थित वैश्विक उत्पादकों से बाज़ार हिस्सेदारी प्राप्त करने का इरादा रखते हैं।

ञ. यद्यपि प्राधिकारी द्वारा निम्न एनआईपी निर्धारित की गई है, तथापि निर्धारित क्षति मार्जिन अभी भी सकारात्मक है।

ट. प्राधिकारी ने आबद्ध इनपुट के लिए मानकीकृत उत्पादन लागत अपनाकर घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए एनआईपी को उल्लेखनीय रूप से कम कर दिया है। इसके अतिरिक्त, यद्यपि निवेश और बैंक जमा को चालू परिसंपत्तियों से बाहर रखा गया है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि उनसे होने वाली आय को अन्य आय में शामिल किया गया है, जिससे विसंगति उत्पन्न होती है। घरेलू उद्योग एनआईपी प्रकटन के संबंध में आगे टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने हेतु गणनाओं का प्रकटन चाहता है।

ठ. भारतीय बाज़ार अत्यंत कीमत-संवेदनशील है, और यदि शुल्क समाप्त होने दिए गए तो पाटन में वृद्धि की संभावना है।

ड. चीन जन. गण. पर लागू पाटनरोधी शुल्क को पाँच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखा जाना चाहिए।

ढ़.3 प्राधिकारी द्वारा जॉच

147. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रकटन पश्चात टिप्पणियों की जॉच की है। यह नोट किया जाता है कि जो टिप्पणियाँ पूर्व में दोहराई जा चुकी हैं तथा जिनका अंतिम जॉच परिणाम के संबंधित पैराओं में विधिवत जॉच एवं समुचित निराकरण किया जा चुका है, उन्हें संक्षिप्तता की दृष्टि से इस प्रकटन पश्चात जॉच में पुनः दोहराया नहीं जा रहा है। जो मुद्दे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहली बार प्रकटन पश्चात चरण में उठाए गए हैं और जिन्हें प्राधिकारी ने प्रासंगिक माना है, उनकी जॉच निम्नानुसार की गई है।

148. घरेलू उद्योग के इस दावे की विश्वसनीयता के संबंध में कि वह 710 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है, जैसा कि इस जॉच परिणाम में पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने प्रस्तावित निवेश के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य रिकार्ड में प्रस्तुत किए हैं। इसके अंतर्गत उसने स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करने वाला अपना पत्र रिकार्ड में रखा है, जिसमें कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दाहेज में एक विनिर्माण इकाई स्थापित करने हेतु 710 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय को "स्वीकृत" किए जाने की सूचना दी गई है। घरेलू उद्योग ने पर्यावरणीय स्वीकृति भी रिकार्ड में प्रस्तुत की है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि संबद्ध वस्तुएँ उक्त इकाई में निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित उत्पादों में सम्मिलित हैं। उपर्युक्त के आलोक में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने प्रस्तावित निवेश करने के प्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता और दृढ़ आशय प्रदर्शित किया है। अतः प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हैं।

149. वर्तमान जांच संबद्ध आयातों पर नए शुल्क लगाने के लिए नहीं है, बल्कि संबद्ध आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा है। अतः यह जॉच की जा रही है कि क्या वर्तमान शुल्कों की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है तथा क्या लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता है। उपर्युक्त जॉच के आलोक में, जिसमें पाटित आयातों की निरंतर उपस्थिति तथा घरेलू उद्योग के निष्पादन पर उनके प्रतिकूल प्रभाव का संकेत मिलता है, और शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में पाटन एवं क्षति की संभावना भी

प्रदर्शित होती है, प्राधिकारी यह उपयुक्त समझते हैं कि संबद्ध देश से आयातों पर शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश की जाए।

150. यह नोट किया गया है कि संबद्ध देश से कीमत कटौती सकारात्मक बनी हुई है, जब इसका आकलन पाटनरोधी शुल्क जोड़े बिना निर्धारित पंहुच मूल्य के आधार पर किया जाता है। जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि प्रचलित पाटनरोधी शुल्क को जोड़ने के पश्चात कीमत कटौती नकारात्मक हो जाती है, यह उल्लेखनीय है कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटित आयातों के क्षतिकारी प्रभावों की प्रतिपूर्ति करना है। अतः ऐसे शुल्क के प्रभाव का उपयोग कीमत कटौती या क्षति के अभाव के तर्क के रूप में नहीं किया जा सकता। वास्तव में, शुल्क जोड़े बिना निर्धारित पंहुच मूल्य उस कीमत को उपयुक्त रूप से दर्शाता है, जिस पर शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में वस्तुएँ घरेलू बाज़ार में प्रवेश करने की संभावना रखती हैं। अतः सकारात्मक कीमत कटौती की निरंतर मौजूदगी स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित करती है कि यदि शुल्क हटा दिए जाएँ तो क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस अनुरोध पर भी ध्यान देते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की काफी अधिक मात्रा अग्रिम प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत आयात की जा रही है, जिसमें पाटनरोधी शुल्क से छूट प्राप्त है। ऐसे आयात बिना शुल्क के सीधे घरेलू बाज़ार में प्रवेश करते हैं और प्रभावी रूप से बाज़ार कीमतों के लिए बेंचमार्क स्थापित करते हैं।

151. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ग्राहकों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए, चूँकि जुबिलेंट इनग्रेविया ने बाज़ार में प्रवेश किया है, अपनी बिक्री कीमत में कमी कर सकता है, यह नोट किया जाता है कि जुबिलेंट भी संबद्ध वस्तुओं को घरेलू उद्योग की तुलनीय कीमतों पर बेच रहा है और उसके लाभ में भी गिरावट आई है। आयात उसकी कीमत में कटौती कर रहे हैं। उपर्युक्त क्षति विश्लेषण से संकेत मिलता है कि घरेलू उत्पादकों के प्रचलित मूल्य स्तर आयातों से प्रभावित हैं। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उसे बिक्री मात्रा बनाए रखने हेतु लागत में आई कमी से अधिक अपनी बिक्री कीमत में कमी करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इस प्रकार, घरेलू उत्पादकों को अपनी मात्रा और बाज़ार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए पाटित आयातों के अनुरूप अपनी कीमत समायोजित करनी पड़ती हैं। बिक्री कीमत में कमी पाटित आयातों द्वारा डाले गए दबाव के कारण हुई है।

152. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत लागत की विश्वसनीयता के संदर्भ में, जांच के दौरान प्राधिकारी द्वारा इसका विधिवत रुप से सत्यापन किया गया है, जहाँ लागत आवंटन के लिए अपनाई गई पद्धति की विस्तृत जॉच की गई है। प्राधिकारी ने पीयूसी के लिए केवल वही लागत आवंटन स्वीकार किया जो युक्तिसंगत,

विधिवत रुप से प्रमाणित तथा स्थापित प्रथाओं के अनुरूप था। तदनुसार, लाभप्रदता विश्लेषण विधिवत रुप से सत्यापित और उपयुक्त रूप से आवंटित लागत आँकड़ों पर आधारित है, और इसे अस्वीकार करने की दृष्टि से किसी प्रकार की विकृति नहीं पाई गई।

153. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने निर्यात बिक्री में संभावित वृद्धि की प्रत्याशा में मालसूची को बनाए रखा हो सकता है, यह तथ्यात्मक रूप से समर्थित नहीं है। यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग का प्रमुख बाज़ार घरेलू बाज़ार ही है। निर्यात की मात्रा उसकी कुल बिक्री का केवल एक छोटा भाग है।

154. संबद्ध आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के समाप्त होने के तर्क के संबंध में यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. से आयात अब भी काफी अधिक बने हुए हैं और पीओआई के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयात का 63% हिस्सा रखते हैं। अतः संबद्ध आयातों की मात्रा समग्र तथा सापेक्ष दोनों ही दृष्टियों से काफी अधिक बनी हुई है। वास्तव में, चीन जन. गण. से संबद्ध आयातों की कीमत स्विट्ज़रलैंड से आयात के पंहुच मूल्य से भी कम है। जहाँ पीओआई के दौरान चीन जन. गण. से आयात का पंहुच मूल्य ₹1,05,158 प्रति मीट्रिक टन था, वहीं स्विट्ज़रलैंड से आयात ₹1,14,339 प्रति मीट्रिक टन की कीमत पर था। इसके अतिरिक्त, चूँकि चीन जन. गण. से पंहुच मूल्य पाटनरोधी शुल्क जोड़े बिना लिया गया है, अतः यह वही कीमत है जिस पर शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में चीन जन. गण. से आयात देश में प्रवेश करने की संभावना रखते हैं। साथ ही, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया और जिसे निर्यातक द्वारा चुनौती नहीं दी गई, काफी अधिक मात्रा में आयात अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए, और ऐसी आयात मात्रा भी घरेलू उद्योग की कीमतों के लिए बेंचमार्क स्थापित करती है, जिससे उसके निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारतीय बाज़ार की कीमत आकर्षकता तथा संभावित कीमतों को देखते हुए, शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में चीन जन. गण. से आयात की मात्रा बढ़ने की संभावना है।

155. निर्यातक ने थाई एक्रिलिक फाइबर कं. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी पर भरोसा करते हुए तर्क दिया है कि पीओआई पश्चात आँकड़े संभावना जॉच का एक अनिवार्य घटक हैं। तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उक्त निर्णय प्रत्येक मामले में अनिवार्य रूप से पीओआई पश्चात आँकड़ों की जांच का प्रावधान नहीं करता है। प्राधिकारी ने इस निष्कर्ष में संभावना विश्लेषण पर्याप्त रूप से किया है। इसके अलावा, (क) पाटित आयातों की लगातार उपस्थिति जिससे घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, तथा (ख) शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में पाटन और क्षति की संभावना

सिद्ध करने वाले पर्याप्त मापदंडों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, पीओआई पश्चात आँकड़े मँगाना या उनकी जॉच करना आवश्यक नहीं समझा गया। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी ने पीओआई पश्चात किसी परिवर्तन का कोई साक्ष्य रिकार्ड में प्रस्तुत नहीं किया है।

156. वर्तमान आयात मात्रा और उनके बाज़ार हिस्से की तुलना पूर्व जांचों में दर्ज आयात और बाज़ार हिस्से से करने के संबंध में निर्यातक ने तर्क दिया है कि यह कानून के अंतर्गत आवश्यक नहीं है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि संभावना की जांच किस प्रकार की जानी चाहिए, इसका कोई सीमित या समग्र सूचीबद्ध प्रावधान नहीं है। प्राधिकारी ने समय के साथ संबद्ध देश के निर्यातकों की प्रवृत्ति और व्यवहार का आकलन करने हेतु वर्तमान आयात मात्रा और बाज़ार हिस्से की तुलना पूर्व जांचों में देखे गए आँकड़ों से करना उपयुक्त समझा है।

157. निर्यातक ने तर्क दिया है कि तीसरे देशों को निर्यात की तुलना में भारत कीमत की दृष्टि से आकर्षक नहीं है। तथापि, यह देखा गया है कि निर्यातक की अपने घरेलू बाज़ार में बिक्री कीमत भारत को निर्यात से प्राप्त कीमत से कम है। इससे भारत निर्यातक के घरेलू बाज़ार की तुलना में अधिक लाभप्रद बाज़ार सिद्ध होता है। अतः इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में निर्यातक बेहतर कीमत की प्राप्ति हेतु अपनी घरेलू बिक्री की मात्रा, या उसका एक भाग, भारत की ओर स्थानांतरित कर सकता है। निर्यातक ने यह भी तर्क दिया है कि भारत लाभकारी नहीं है और यदि वह मात्रा भारत की ओर स्थानांतरित करना चाहता तो अब तक कर चुका होता। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जन. गण. से आयात अब भी भारत में कुल आयात का अधिकांश हिस्सा हैं। इसके अलावा, नैनटोंग ऐसे आयातों का प्रमुख हिस्सा रखता है। अतः इस दावे के बावजूद कि भारत लाभकारी बाज़ार नहीं है, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि चीन से, और विशेषकर नैनटोंग से, आयात की मात्रा काफी अधिक बनी हुई है।

158. इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग के अनुरोधों के आधार पर प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जन. गण. के पश्चात भारत संबद्ध वस्तुओं के वैश्विक उत्पादन में काफी अधिक हिस्सा रखता है और मांग के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार है। ऐसी स्थिति में, विशेषकर प्रचलित प्रतिस्पर्धा और भारत द्वारा उपलब्ध कराए गए बाज़ार के आकार को देखते हुए, भारतीय बाज़ार में उपस्थिति बनाए रखना चीन के निर्यातकों के लिए रणनीतिक महत्व का होने की संभावना है। अतः भारत में निर्यातक के घरेलू बाज़ार की तुलना में अधिक कीमत प्राप्ति, वर्तमान में आयात की काफी अधिक मात्रा, भारतीय बाज़ार का रणनीतिक महत्व, तथा इस जॉच परिणाम में

उपर्युक्त अन्य विश्लेषित कारकों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने यह पाया है कि शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में भारत में पाटन के जारी रहने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, पाटन के और अधिक तीव्र होने की संभावना है।

159. भारत को निर्यात और तीसरे देशों को निर्यात के बीच की गई तुलना के स्रोत के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यह तुलना प्रतिवादी निर्यातक द्वारा अपनी प्रश्नावली उत्तर में प्रस्तुत आँकड़ों के आधार पर की गई है। चूँकि पैरा 130 की तालिका, जिसमें भारत और तीसरे देशों को निर्यात की तुलना प्रस्तुत की गई है, प्रतिवादी निर्यातक के विभिन्न बाज़ारों में निर्यात मात्रा और कीमत, नियमों के अनुबंध-I के अनुसार भारत में देय या प्रदत्त कीमत के आधार पर निर्धारित सामान्य मूल्य, तथा घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित क्षतिरहित कीमत जैसी सूचनाएँ सम्मिलित हैं, जो स्वभावतः गोपनीय हैं और जिन्हें हितबद्ध पक्षकारों द्वारा भी गोपनीय के रूप में दावा किया गया है, अतः उन्हें तदनुसार गोपनीय माना गया है और वर्तमान जाँच परिणाम के अगोपनीय अंश में प्रकट नहीं किया गया है।

160. यह तर्क दिया गया है कि प्राधिकारी द्वारा विचार किए गए तीसरे देश की निर्यात कीमत कृत्रिम रूप से कम है और पाटन का भ्रामक चित्र प्रस्तुत करती है। जैसा कि निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर में उपलब्ध जानकारी की जाँच में पूर्व में संकेत किया गया है, तीसरे देश के पाटन का आकलन करने हेतु तुलना ऊपर गणना किए गए सामान्य मूल्य और निर्यातक द्वारा सूचित की गई निर्यात कीमत के बीच की गई थी। यह नोट किया जाता है कि जिस निर्यात कीमत पर विचार किया गया, उसे निर्यातक द्वारा "बीजक मूल्य" के रूप में सूचित किया गया था। प्राधिकारी ने ऐसे बीजक मूल्य में उन निर्यातों से संबंधित किसी भी व्यय के लिए कोई समायोजन नहीं किया है। अतः यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि विश्लेषण के उद्देश्य से प्राधिकारी ने कम निर्यात कीमत पर विचार किया।

161. घरेलू उद्योग द्वारा गैर-हानिकारक मूल्य की गणना पर प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर, डंपिंग-विरोधी नियमों के अनुबंध-III के अनुसार गणना की गई है। प्राधिकारी की नियमित प्रक्रिया के अनुसार, घटकवार गैर-हानिकारक मूल्य घरेलू उद्योग को सूचित किया गया है।

<u>ण. निष्कर्ष और सिफारिश</u>

162. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने तथा रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के पश्चात, प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पंहुचे हैं:

क) विचाराधीन उत्पाद मेथाइल एसीटोएसीटेट है, जिसे एमएए/एमएएई/एएएमई के नाम से भी जाना जाता है।

ख) संबद्ध वस्तुएँ सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत सीमा शुल्क उपशीर्षों 29183040, 29183040, 29183090 तथा 29189990 के अंतर्गत आयात की जा रही हैं। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ग) घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएँ संबद्ध देश से आयातित वस्तुओं के 'समान वस्तु' हैं।

घ) संबद्ध वस्तुओं के चीन जन. गण. से आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जॉच की शुरूआत करने के लिए आवेदन मैं. लक्ष्मी आर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था।

ङ) पूर्व जांचों में आवेदक एकमात्र उत्पादक था। तथापि, क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं का एक अन्य उत्पादक, अर्थात् जुबिलेंट इनग्रेविया लिमिटेड, ने क्षमता स्थापित कर बाज़ार में प्रवेश किया है।

च) जुबिलेंट इन्ग्रेविया लिमिटेड ने आवेदन और शुल्कों को लगाये जाने का समर्थन किया है। जुबिलेंट ने कहा है कि लागू शुल्कों ने उसे बाज़ार में निवेश करने और उत्पादन प्रारंभ करने का आत्मविश्वास प्रदान किया। साथ ही, उसने समर्थन पत्र के माध्यम से अपनी क्षति संबंधी जानकारी भी प्रदान की है।

छ) रिकार्ड में उपलब्ध जानकारी के आधार पर, प्राधिकारी ने निर्धारित किया है कि आवेदक का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा है। अतः प्राधिकारी ने निर्धारित किया कि आवेदक नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग का गठन करता है और आवेदन नियम 5(3) के अनुसार पात्रता संबधी मानदंडों को पूरा करता है।

ज) संबद्ध देश के उत्पादक नैनटोंग एसेटिक एसिड कैमिकल कं. लि. ने वर्तमान जांच में स्वयं को पंजीकृत किया और उसने निर्धारित निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया।

झ) निर्यातक ने बताया है कि चूँकि वह चीन जन. गण. में सूचीबद्ध कंपनी है और उसका संचालन राज्य से प्रभावित नहीं हैं, अतः उसे बाज़ार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान किया जाना चाहिए। तथापि, उसने ऐसे व्यवहार को उचित

ठहराने हेतु पूरक प्रश्नावली प्रस्तुत नहीं की। निर्यातक को पूर्व जांचों में न तो बाज़ार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रदान किया गया था और न ही उसने इसका अनुरोध किया था। अतः निर्यातक का ऐसे व्यवहार का दावा अस्वीकृत किया गया है।

ञ) प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण निर्यातक द्वारा अपनी प्रश्नावली उत्तर में सूचित की गई निवल निर्यात कीमत और आयात के पंहुच मूल्य के आधार पर किया है।

ट) निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक, न्यूनतम सीमा से अधिक तथा काफी अधिक पाया गया है। संबद्ध आयात पाटित कीमतों पर भारत में प्रवेश करते रहे हैं।

ठ) क्षति अवधि के दौरान मांग में कमी आई है, किंतु यह पूर्व जांच की मांग के स्तर के लगभग समान बनी हुई है।

ड) संबद्ध आयात की मात्रा पूर्ण तथा भारतीय उत्पादन और उपभोग के सापेक्ष दोनों ही दृष्टियों से काफी अधिक बनी हुई है।

ढ) आयात का पंहुच मूल्य घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम है। अतः संबद्ध आयात घरेलू कीमतों में कटौती कर रहे हैं।

ण) क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों का पंहुच मूल्य 44% घटा, जो घरेलू उद्योग की लागत में 32% की कमी तथा बिक्री कीमतों में 40% की कमी से अधिक था। संबद्ध आयातों की इस उल्लेखनीय कीमत गिरावट ने घरेलू उद्योग को मात्रा बनाए रखने हेतु अपनी लागत में कमी से अधिक बिक्री कीमत घटाने के लिए विवश किया। पाटित आयातों का घरेलू कीमतों पर ह्रासकारी एवं न्यूनकारी प्रभाव पड़ा है।

त) क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के लिए घरेलू उद्योग का उत्पादन और बिक्री मात्रा कम हो गई। 2023-24 और पीओआई के दौरान बिक्री मात्रा और बाज़ार हिस्सेदारी बढ़ाने हेतु उसे अपनी कीमत कम करनी पड़ी है।

थ) पाटित आयातों के पंहुच मूल्य में तीव्र गिरावट, जो उत्पादन लागत से भी कम स्तर पर चला गया, के कारण, घरेलू उद्योग को अपने बिक्री कीमत में

समानुपाती कमी करनी पड़ी, जिससे 2023-24 में उसे क्षति हुई और पीओआई के दौरान नगण्य लाभ अर्जित हुआ।

द) पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग का समग्र वित्तीय निष्पादन अत्यंत रहा, जिसमें नियोजित पूंजी पर न्यूनतम आय प्राप्त हुई।

ध) यद्यपि क्षति अवधि के दौरान जुबिलेंट की मात्रा में वृद्धि हुई, यह उसके नए उत्पादक होने तथा लागत से काफी कम कीमत पर बिक्री करने के कारण हुआ है। जुबिलेंट भी संबद्ध वस्तुओं को घरेलू उद्योग के तुलनीय कीमतों पर बेच रहा है और उसके निष्पादन में भी गिरावट देखी गई है।

न) पाटित आयातों के जारी रहने का घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

प) गैर-आरोपण विश्लेषण से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति के लिए कोई अन्य कारक उत्तरदायी नहीं है। स्विट्ज़रलैंड से आयात की समानांतर जांच के अंतर्गत जॉच की जा रही है।

फ) प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षतिरहित कीमत और आयात के पंहुच मूल्य को देखते हुए, यह पाया गया है कि क्षति मार्जिन काफी अधिक है।

ब) शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने की पर्याप्त संभावना के साक्ष्य उपलब्ध हैं, जिसका सारांश निम्नानुसार है:

 क. शुल्क लागू होने के बावजूद चीन जन. गण. से आयात काफी अधिक बने हुए हैं और पूर्व जांचों में दर्ज स्तर से भी अधिक हैं।

 ख. वर्तमान जांच में निर्धारित पाटन मार्जिन पूर्व निर्धारित मार्जिन से अधिक है, जो लगातार पाटन के व्यवहार को दर्शाता है।

 ग. चीन जन. गण. में उत्पादकों के पास काफी अधिक क्षमताएँ हैं। यद्यपि वर्तमान जांच में एक उत्पादक ने भाग लिया है जिसका क्षमता उपयोग काफी अधिक है, तथापि संबद्ध देश में अन्य कई उत्पादक भी हैं।

 घ. संबद्ध देश के उत्पादकों के पास उपलब्ध क्षमता उनकी घरेलू मांग से काफी अधिक है। उत्पादकों के पास अधिशेष और मुक्त रूप से

निपटान योग्य क्षमता है, जो शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में भारत की ओर भेजी जा सकती है।

ङ. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति में कटौती करते हैं और घरेलू कीमतों पर ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभाव डालते हैं। सकारात्मक कीमत कटौती का जारी रहना यह दर्शाता है कि यदि शुल्क हटाए गए तो क्षति में काफी अधिक वृद्धि हो सकती है।

च. भागीदार निर्यातक भारत को तीसरे देशों के सम्मिलित निर्यात की तुलना में अधिक मात्रा में निर्यात कर रहा है। भारत को उस निर्यातक के निर्यात के लिए निर्धारित मार्जिन तीसरे देशों की तुलना में अधिक है, जो भारतीय बाज़ार में चयनात्मक पाटन को दर्शाता है।

छ. निर्यातक के लिए उसके घरेलू बाज़ार की तुलना में भारतीय बाज़ार अधिक आकर्षक है। भारतीय बाज़ार की कीमत आकर्षकता को देखते हुए, शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में चीन जन. गण. से आयात की मात्रा बढ़ने की संभावना है।

भ) अंतिम उपभोक्ता पर शुल्क का प्रभाव नगण्य पाया गया है। वर्तमान या पूर्व जांच में किसी भी प्रयोक्ता या आयातक ने भाग नहीं लिया, जिससे यह और पुष्ट होता है कि डाउनस्ट्रीम उद्योग शुल्कों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होते हैं।

म) लागू शुल्कों के सकारात्मक प्रभाव के कारण न केवल एक नए उत्पादक ने क्षमता स्थापित कर बाज़ार में प्रवेश किया, बल्कि घरेलू उद्योग द्वारा इस उत्पाद में काफी अधिक निवेश भी किया जा रहा है। तथापि, नए उत्पादक के प्रचालन प्रारंभ करने के साथ पाटन में वृद्धि हुई है, जिससे भारतीय उद्योग की व्यवहार्यता पर गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है।

163. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान जॉच लागू कानून के अनुरूप संचालित की गई। सभी हितबद्ध पक्षकारों को विधिवत रुप से सूचित किया गया और उन्हें पाटन, क्षति, कारणात्मक संबंध, पाटन एवं क्षति के जारी रहने की संभावना तथा भारतीय उद्योग पर उपायों के प्रभाव सहित जांचाधीन मुद्दों पर जानकारी प्रस्तुत करने और अपने विचार रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। निर्णायक समीक्षा के

परिणामस्वरूप, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वर्तमान मामले में लागू पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखना आवश्यक है।

164. वर्तमान जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों की जांच करने के पश्चात, प्राधिकारी यह उपयुक्त एवं आवश्यक समझते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में दर्शाई गई राशि के बराबर निश्चयात्मक शुल्क पाँच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की सिफारिश की जाए। अतः उपर्युक्त स्थापित इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क की समयावधि बढ़ाये जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र सं.	टैरिफ शीर्ष	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूओएम	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	29183040, 29183090 और 29189990	मिथाइल एसिटोएसिटेट	चीन जन गण	चीन जन गण सहित कोई देश	नैनटांग एसिटिक एसिड कैमिकल कं. लि.	0.277	किग्रा.	अम. डा.
2.	-वही-	-वही-	चीन जन गण	चीन जन गण सहित कोई देश	क्र. सं. 1 से इतर कोई	0.404	किग्रा.	अम. डा.
3.	-वही-	-वही-	चीन जन गण से इतर कोई देश	चीन जन गण	कोई	0.404	किग्रा.	अम. डा.

165. उपरोक्त शुल्क तालिका में उल्लिखित कंपनियों के लिए निर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का आवेदन सीमा शुल्क अधिकारियों को एक वैध वाणिज्यिक चालान प्रस्तुत करने पर सशर्त होगा, जिस पर ऐसे चालान जारी करने वाली इकाई के एक अधिकारी द्वारा

दिनांकित और हस्ताक्षरित एक घोषणा अंकित होगी, जिसमें उसका नाम और पद अंकित होगा, और जिसका प्रारूप निम्नानुसार होगा:

मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस इनवॉइस में उल्लिखित भारत को निर्यात के लिए बेची गई मिथाइल एसीटोएसीटेट की (मात्रा) का निर्माण चीन जन गण *में स्थित (कंपनी का नाम और पता) द्वारा किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूँ कि इस इनवॉइस में दी गई जानकारी पूर्ण और सही है।*

166 यदि ऐसा कोई चालान प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी दरों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह आवश्यकता सीमा शुल्क कानूनों और विनियमों के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती है।

त. आगे की प्रक्रिया

167. इस जॉच परिणाम के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले आदेश के विरुद्ध कोई अपील, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जायेगी।

(अमिताभ कुमार)
निर्दिष्ट प्राधिकारी